# विक्रम विश्वविद्यालय,उज्जैन

क्रमांक/अकादमिक/सम्मिलन/2022/375 दिनांक :-04/03/2022

प्रति,

मानयीय कुलाधिपति एवं राज्यपाल के सचिव,
राजभवन,
भोपाल।

**विषय :- कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 02.03.2022 के कार्यविवरण विषयक।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत इस पत्र के साथ कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 02.03.2022 का कार्यविवरण आपकी ओर संलग्न प्रेषित किया जा रहा है।

आदेशानुसार
कुलसचिव

संलग्न :- उपरोक्तानुसार

क्रमांक/अकादमिक/सम्मिलन/2022/376 दिनांक :-04/03/2022

प्रतिलिपि :-

01. कार्यपरिषद् के समस्त माननीय सदस्यगण।
02. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
03. आयुक्त, उच्च शिक्षा विभाग, सतपुड़ा भवन, भोपाल।

सहायक कुलसचिव(अकादमिक)

# विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन

क्रमांक/अकादमिक/सम्मिलन/2022/374 दिनांक :-4/3/2022

कार्यपरिषद्

की

बैठक के कार्यविवरण

स्थान :- अतिथि निवास, उज्जैन तिथि : 02.03.2022

समय : अपरान्ह 12.00 बजे

-:: उपस्थिति ::-

| | | |
|---|---|---|
| 01. | प्रो. अखिलेश कुमार पाण्डेय | कुलपति एवं अध्यक्ष |
| 02. | डॉ. लक्ष्मीनारायण शर्मा | सदस्य |
| 03. | डॉ.(श्रीमती) दीपिका गुप्ता | सदस्य |
| 04. | डॉ. शैलेन्द्र कुमार शर्मा | सदस्य |
| 05. | डॉ. पी.के. वर्मा | सदस्य |
| 06. | डॉ. गोविन्द गन्धे | सदस्य |
| 07. | डॉ. आर.सी. जाटवा (अति.संचालक,उज्जैन संभाग) | सदस्य |
| 08. | श्रीमती सुषमा ठाकुर (संयुक्त संचालक कोष एवं लेखा) | सदस्य |
| 09. | श्री राजेश सिंह कुशवाह | सदस्य |
| 10. | श्री सचिन दवे | सदस्य |
| 11. | सुश्री ममता बेंडवाल | सदस्य |
| 12. | श्री विनोद यादव | सदस्य |
| 13. | श्री संजय नाहर | सदस्य |
| 14. | डॉ. प्रशांत पुराणिक | कुलसचिव एवं सचिव |

**विषय क्रं.1-** कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 27.10.2021 के कार्यविवरण की पुष्टि पर विचार।

**निर्णय :-** निर्णय लिया गया कि कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 27.10.2021 के कार्यविवरण की पुष्टि की गई। **(क्रियान्वयन - अकादमिक विभाग)**

**विषय क्रं.2-** विद्यापरिषद की ऑफलाईन/ऑनलाईन बैठक दिनांक 24.11.2021 के कार्यविवरण की पुष्टि पर विचार।

**निर्णय :-** निर्णय लिया गया कि विद्यापरिषद् की ऑफलाईन/ऑनलाईन बैठक दिनांक 24.11.2021 के कार्यविवरण की पुष्टि की गई। **(क्रियान्वयन - अकादमिक विभाग)**

**विषय क्रं.3-** विद्यापरिषद की स्थायी समिति की ऑनलाईन एवं ऑफलाईन बैठक दिनांक 16.12.2021 एवं 04.02.2022 के कार्यविवरण की पुष्टि पर विचार।

**निर्णय :-** निर्णय लिया गया कि विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की ऑनलाईन एवं ऑफलाईन बैठक दिनांक 16.12.2021 एवं 04.02.2022 के कार्यविवरणों की पुष्टि की गई एवं दिनांक 04.02.2022

निरंतर...02

स्थायी समिति की बैठक के विषय क्रमांक 02 पर लिए गए निर्णय के परिप्रेक्ष्य में विश्वविद्यालय से सम्बद्ध महाविद्यालयों में संचालित पाठ्यक्रमों के सम्बद्धता/निरंतरता शुल्क को सत्र 2022-23 से लागू किये जाने की सूचना परिनियम 27 की धारा 4(B) के प्रावधानानुसार समन्वय समिति के सूचनार्थ प्रेषित की जाने की अनुशंसा की गई।

**(क्रियान्वयन - अकादमिक विभाग)**

**विषय क्रं.4-** विद्या संबंधी योजना एवं मूल्यांकन बोर्ड की बैठक दिनांक 26.10.2021 कार्यविवरण की पुष्टि पर विचार।

**निर्णय :-** विद्या संबंधी योजना एवं मूल्यांकन बोर्ड की बैठक दिनांक 26.10.2021 के कार्यविवरण की पुष्टि की गई।

**(क्रियान्वयन - विकास विभाग)**

**विषय क्रं.5-** शोध अभ्यार्थियों द्वारा प्रस्तुत शोध प्रबंधों के परिक्षकों की अनुशंसा के आधार पर प्रदान की गई पीएच.डी. उपाधि की सूचना।

**निर्णय :-** निर्णय लिया गया कि शोध अभ्यर्थियों द्वारा प्रस्तुत शोध प्रबंधों के परीक्षकों की अनुशंसा के आधार पर प्रदान की गई पीएच.डी. उपाधि की सूचना ग्राह्य की गई।

**(क्रियान्वयन - गोपनीय विभाग)**

**विषय क्रं.6-** विश्वविद्यालय के सत्र 2020-21 के 64 वॉ वार्षिक प्रतिवेदन सूचनार्थ प्रस्तुत।

**निर्णय :-** निर्णय लिया गया कि विश्वविद्यालय के सत्र 2020-21 के 64 वॉ वार्षिक प्रतिवेदन की सूचना ग्राहय की गई।

**(क्रियान्वयन - अकादमिक विभाग)**

**विषय क्रं.7-** विश्वविद्यालय द्वारा विभिन्न संस्थाओं एवं अन्य विश्वविद्यालयों (01. Environment and Social Welfare Society,Khajuraho,India, 02.Mohammed Sharif Ismail Wax Batik & Block Printers, Bherugarh, Ujjain, 03. Ravindranath Tagore University, Bhopal, 04. Atal Incubation Center-Rabindranath Tagore University, Bhopal, 05. MEDI-CAPS University, Indore, 06. Mata Gujri Mahila Mahavidyalaya (Auto.) Jabalpur, 07. LNCT University, Bhopal, 08. Tropical Forest Research Institute, Jabalpur, 09. Mangalayatan University, Jabalpur, 10. Mangalayatan University, Aligarh, 11. Mahakaushal University,Jabalpur, 12. दिनकर सृजन संस्थान, उज्जैन, 13. प्रेमचन्द सृजन पीठ,संस्कृति परिषद संस्कृति मंत्रालय म.प्र.शासन,भोपाल।) के मध्य समझोते के आलेख पर हस्ताक्षरार्थ उपरांत कार्यपरिषद् के समक्ष सूचनार्थ।

**निर्णय :-** निर्णय लिया गया कि उपरोक्त विश्वविद्यालय द्वारा विभिन्न संस्थाओं एवं अन्य विश्वविद्यालयो के मध्य समझोते के आलेख पर हस्ताक्षर की सूचना ग्राह्य की गई, एवं मान्य किया गया।

**(क्रियान्वयन - विकास विभाग)**

**विषय क्रं.8-** विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन द्वारा आयोजित किये जाने वाले 26 वे दीक्षांत समारोह दिनांक 02.04.2022 को आयोजित करने पर विचार।

**निर्णय :-** निर्णय लिया गया कि राजभवन से प्राप्त पत्र क्रमांक एफ-21-2/2007/रा.स./यू.ए.1/267 दिनांक 18 फरवरी, 2022 के परिप्रेक्ष्य में माननीय कुलाधिपतिजी महोदय द्वारा विश्वविद्यालय के 26 वे दीक्षांत समारोह के आयोजन हेतु दिनांक 02.04.2022 निश्चित की गई है, कार्यपरिषद् द्वारा सूचना ग्राह्य की गई।

**(क्रियान्वयन - अकादमिक विभाग)**

निरंतर...03

**विषय क्रं.9**– विश्वविद्यालय में कार्यरत स्थाईकर्मीयों को चिकित्सा भत्ता नहीं दिया जाता है। उन्हें चिकित्सा भत्ता रूपये 2000/– प्रतिमाह प्रदान करने बाबत्।

**टिप्पणी** – विश्वविद्यालय की कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 27.10.2021 के विषय क्र. 01,के निर्णय के परिपालन में प्रस्तुत है कि विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन द्वारा मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय भोपाल के आदेश क्रमांक/एफ 5–1/2013/1/3 भोपाल दिनांक 07 अक्टुबर 2016 के आदेश के परिपालन में विश्वविद्यालय में कार्यरत दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को स्थायीकर्मी घोषित किया गया है। म.प्र. के अन्य विश्वविद्यालय जैसे राजीवगांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय,बरकतउल्लाह विश्वविद्यालय भोपाल, जीवाजी विश्वविद्यालय ग्वालियर तथा देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर द्वारा कार्यपरिषद् के निर्णयानुसार स्थायीकर्मीयों को चिकित्सा भत्ते का भुगतान किया जा रहा है।

अतः विक्रम विश्वविद्यालय में कार्यरत स्थायीकर्मीयों को भी चिकित्सा भत्ते की राशि रूपये 2000/– प्रतिमाह प्रदान किये जाने हेतु प्रकरण कार्यपरिषद् के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत।

**निर्णय :–** निर्णय लिया गया कि विक्रम विश्वविद्यालय में कार्यरत स्थायीकर्मीयों को चिकित्सा भत्ते की राशि रूपये 2000/– प्रतिमाह प्रदान किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई।

**(क्रियान्वयन – प्रशासन विभाग)**

**विषय क्रं.10**–कार्यपरिषद की बैठक दिनांक 27.10.2021 के विषय क्रं.11 के अन्तर्गत विश्वविद्यालय द्वारा शिक्षकीय बैकलाग पदों के रोस्टर निर्माण, पुर्नः परीक्षण किये जाने एवं विसंगति को दूर करने हेतु एवं बैकलॉग आरक्षित पदों के विज्ञापन हेतु माननीय कुलपतिजी द्वारा उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया गठित समिति से प्राप्त प्रतिवेदन पर विचार।

**टिप्पणी** – कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 27.10.2021 के विषय क्रमांक 11 के अन्तर्गत विश्वविद्यालय द्वारा शिक्षकीय पदों के रोस्टर निर्माण एवं बैकलाग आरक्षित पदों के विज्ञापन विषयक शासन से प्राप्त शिकायती पत्रों के परीप्रेक्ष्य में विवेचना हेतु माननीय कुलपतिजी द्वारा गठित समिति के प्रतिवेदन एवं माननीय उच्च न्यायालय में विचाराधीन तत्संबंधी याचिका पर विचार करते हुए सम्पूर्ण प्रकरण में जॉच हेतु कार्यपरिषद द्वारा एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया। समिति के सदस्य निम्नानुसार है :–

1. श्री राजेश सिंह कुशवाह कार्यपरिषद सदस्य, 2. श्री आर.सी. जाटवा अतिरिक्त संचालक,उच्च शिक्षा विभाग उज्जैन संभाग उज्जैन 3. श्री संजय नाहर कार्यपरिषद सदस्य 4. संयुक्त संचालक कोष एवं लेखा 5 डॉ. सुषमा सैयाम 6. सहायक कुलसचिव प्रशासन। उक्त गठित समिति की बैठक दिनांक 31.12.2021 को सम्पन्न हुई जिसमें समिति ने सम्पूर्ण प्रकरण का अवलोकन कर संज्ञान लिया जाकर अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया।

समिति द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन कार्यपरिषद् के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत।

**निर्णय :–** निर्णय लिया गया कि समिति द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन निम्नानुसार है :–

विश्वविद्यालय कार्यपरिषद की बैठक दिनांक 27.10.2021 के विषय क्रमांक 11 के अन्तर्गत निर्णय आदेश के परिपालन में शिक्षकिय पदों के रोस्टर का पुनः परीक्षण किये जाने विसंगति को दूर करने हेतु अनुशंसा प्रदान करने बाबद् उक्त गठित समिति की बैठक दिनांक 31.12.2021 को अपरान्ह 3:00 बजे कार्यपरिषद कक्ष मे आयोजित की गई। प्रशासन विभाग द्वारा विषय से संबंधित समस्त अभिलेखों को समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

बैठक में निम्नानुसार समिति के सदस्यगण उपस्थित रहें।

| | | |
|---|---|---|
| 01 | श्री राजेश सिहं कुशवाह | कार्यपरिषद सदस्य |
| 02 | डॉ. आर.सी.जाटवा | अतिरिक्त संचालक उच्च शिक्षा विभाग उज्जैन संभाग उज्जैन |
| 03 | श्री संजय नाहर | कार्यपरिषद सदस्य |
| 04 | सहायक कुलसचिव | प्रशासन विभाग |

निरंतर...04

समिति द्वारा कार्यालयीन अभिलेखों का अवलोकन किया गया। विश्वविद्यालय द्वारा वर्ष 2003 में विधिवत जारी किये गये शिक्षकीय पदों के रोस्टर का अवलोकन किया गया । समिति द्वारा मध्यप्रदेश राजभवन के पत्र क्रमांक 1865/रास/यूए–1/2006 दिनांक 02 दिसम्बर 2006 का अवलोकन किया गया एवं महामहिम कुलाधिपतिजी एवं राज्यपाल सचिवालय से शिक्षकीय पदों के युक्तियुक्तकरण बाबत् प्राप्त विस्तृत आदेश पत्र का अवलोकन किया गया। समिति द्वारा वर्ष 2007 में तद्नुसार रिक्त शिक्षकीय पदों की भर्ती हेतु जारी किये गये विज्ञापन सूचना क्रमांक/प्रशासन/3741 दिनांक मार्च 2007 का अवलोकन किया गया। विश्वविद्यालय द्वारा जारी वर्ष 2003 के रोस्टर, महामहिम राज्यपाल सचिवालय से प्राप्त पदों के युक्तियुक्तकरण पत्र को समानान्तरता से दृष्टावलोकित करने पर प्रतीत होता है कि रिक्त पदों के लिए विज्ञापन सूचना वर्ष 2007 रोस्टर वर्ष 2003 एवं राजभवन से प्राप्त पदों के युक्तियुक्तकरण आदेश के आधार पर ही जारी की गई थी।

मध्यप्रदेश शासन उच्च शिक्षा विभाग मंत्रालय के पत्र क्रमांक/एफ 73–14/2017/38–3 भोपाल दिनांक 23.01.2020 की कंडिका (4) के अनुसार वर्ष 2007 में जारी विज्ञापन के अर्न्तगत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के ऐसे शिक्षकीय पद जो विज्ञापन के पश्चात एवं चयन प्रक्रिया के उपरान्त भरे नहीं जा सके थे ऐसे पदों का शासन के आदेश के परिपालन में प्रथमतः संबंधित सवंर्गो के अर्न्तगत बैकलाग के रूप में विज्ञापित किया जाकर चयन प्रक्रिया की जावें।

2007 का रोस्टर की अनुपलब्धता में 2007 के सूचना क्रं./प्रशासन/संस्थापन/3741, दिनांक मार्च, 2007 के रिक्तियों के विज्ञापन एवं तदनुसार भर्ती उपरांत कार्यपरिषद की बैठक दिनांक 23.11.2007 को अनुमोदन हेतु प्रदत्त सूचना एवं कार्यपरिषद अनुमोदन उपरान्त आरक्षित **वर्ग एस.टी. एस.सी.** के विज्ञापित पदों एवं नियुक्ति के पश्चात बैकलाग रिक्तियों की संख्या निम्नानुसार है :–

| क्रं. | अध्ययनशाला | आचार्य | उपाचार्य | सहा. प्राध्यापक | कुल |
|---|---|---|---|---|---|
| 01. | हिन्दी अ.शा. | – | 01अजजा | – | 01 |
| 02. | सांख्यिकी अ.शा. | – | 01अजजा | 01अजजा | 02 |
| 03. | अंग्रेजी अ.शा. | – | 01अजजा | – | 01 |
| 04. | भु–विज्ञान | – | 01अजजा | 01अजजा | 02 |
| 05. | रसायन एवं जैव रसायन | – | 01अजजा | – | 01 |
| 06. | गणित अ.शा. | – | 01अजजा | – | 01 |
| 07. | संस्कृत | – | 01अजजा | 01अजजा | 02 |
| 08. | सतत शिक्षा | – | 01अजजा | 01अजा, 01अजजा | 03 |
| 09. | प्राणिकी अ.शा. | – | 01अजजा | – | 01 |
| 10. | भौतिकी अ.शा. | – | – | 01अजजा | 01 |
| 11. | कम्प्यूटर साईंस | – | 01अजजा | 01अजजा | 02 |
| 12. | व्यवसाय प्रबंधन | 01अजजा | – | – | 01 |
| 13. | प्रा.भा.ई.सं.एवं पुरा. | – | 01अजजा | 01अजजा | 02 |
| 14. | ग्रन्थालय एवं सूचना | – | – | 01अजजा | 01 |
| 15. | राजनीति विज्ञान | – | 01अजजा | – | 01 |
| 16. | अर्थशास्त्र | – | 01अजजा | 01अजजा | 02 |
| 17. | वनस्पति अ.शा. | – | 01अजजा | 01अजजा | 02 |
| 18. | फार्मेसी | 01अज.जा | 01अजजा | 01अजा, 01अजजा | 04 |
| 19. | दर्शनशास्त्र | – | – | 01अजजा | 01 |
| 20. | कार्मस | – | – | 01अजजा | 01 |
| 21. | ज्योर्तिविज्ञान | – | – | 01अजजा | 01 |

**सपोर्टिंग स्टाफ के विज्ञापित पद**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 22. | लेंग्वेज लेब अ.शा | – | – | 01अजजा | 01 |

उक्तानुसार अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के रिक्त आचार्य, उपाचार्य, सहायक प्राध्यापक के

निरंतर...05

पदो पर नियुक्ति प्रक्रिया पूर्ण होने के पश्चात शासन के उक्त आदेश क्रमांक/एफ73–14/2017/38–3 दिनांक 23.01.2020 अनुसार नवीन रोस्टर निर्माण के प्रकरण में माननीय कार्यपरिषद के निर्णय आदेश के परिपालन में पश्चातवर्ती समिति अपनी निम्नानुसार अंतरिम अनुशंसा प्रस्तुत करती है :–
म.प्र. शासन का पत्र दिनांक 23.01.2020 शिक्षकीय पदों पर सीधी भर्ती के संबंध में आदेश पत्र है। विश्वविद्यालय की रोजगार सूचना दिनांक 23.8.2021 में विज्ञापित निदेशक, शारीरिक शिक्षा, पुस्तकाध्यक्ष तथा निदेशक डॉ. अम्बेडकर चेअर के पद शिक्षकीय पद न होकर गैर शिक्षकीय पद है एवं एक–एक ही पद है। अतः शासन के उक्त पत्र के उपबन्ध इन पदों पर प्रभावशील नहीं माने जा सकते है। समिति ने डॉ. अम्बेडकर प्रतिष्ठान सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार में निदेशक पद की पूर्ति बाबद निर्देश पत्र डी.ओ. क्रं. 37347, दिनांक 25.10.2021 का अवलोकन किया।

1. अतः सम्पूर्ण वस्तुस्थिति का अवलोकन संज्ञान लिया गया। समिति यह अनुशंसा करती है कि विश्वविद्यालय की रोजगार सूचना दिनांक 23.08.2021 में विज्ञापित गैर शिक्षकीय पद जो कि अनारक्षित एकल पद है इन पदो पर चयन एवं नियुक्ति प्रक्रिया अलग से प्रारंभ की जाकर इन्हें पृथक से विज्ञापित कर दिया जावे।
2. शेष 2007 में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के रिक्त कार्यपरिषद की बैठक दि. 23.11.2007 में संसूचित पदों की रिक्तियों को भरने की प्रक्रिया भी तदनुसार प्रारंभ की जाये।
3. तत्सम्बधी माननीय न्यायालय को उपरोक्त पदों की स्थिति की सूचना नियुक्त अधिवक्ता के माध्यम से की जाये।

**कार्यपरिषद् द्वारा समिति से प्राप्त अनुशंसा मान्य की गई।**

**(क्रियान्वयन – प्रशासन विभाग)**

**विषय क्रं.11**–दीक्षांत समारोह में मानद उपाधि प्रदान करने संबंधी प्रस्ताव कार्यपरिषद् के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत।

**निर्णय :–** निर्णय लिया गया कि दीक्षांत समारोह में मानद उपाधि प्रदान किये जाने हेतु परिनियम के अनुसार प्रस्ताव तैयार होने के पश्चात बैठक में प्रस्तुत करें।

**(क्रियान्वयन – अकादमिक विभाग)**

**विषय क्रं.12**–फार्मेसी अध्ययनबोर्ड की बैठक दिनांक 20.09.2021 एवं 12.01.2022 एवं विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 04.02.2022 के निर्णय अनुसार Pharmacy Council of India द्वारा अनुमोदित M.Pharma Regulations तथा भारत का राजपत्र नई दिल्ली,शुक्रवार, अक्टूबर 16,2020/आश्विन 24,1942 द्वारा प्रकाशित डिप्लोमा कोर्स के लिए शिक्षा विनियम, 2020 को अध्यादेश के रूप में अंगीकृत किये जाने हेतु प्रकरण कार्यपरिषद् के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत।

**निर्णय :–** निर्णय लिया गया कि M.Pharma Regulations तथा भारत का राजपत्र नई दिल्ली,शुक्रवार, अक्टूबर 16,2020/आश्विन 24,1942 द्वारा प्रकाशित डिप्लोमा कोर्स के लिए शिक्षा विनियम, 2020 को अध्यादेश के रूप में अंगीकृत किये जाने हेतु प्रकरण समन्वय समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाए।

**(क्रियान्वयन – अकादमिक विभाग)**

**विषय क्रं.13**–अनुचित साधनों का उपयोग करने वाले परीक्षार्थियों के प्रकरणों पर विचार करने हेतु समिति के गठन के संबंध में विचार।

**टिप्पणी** – विश्वविद्यालय की वर्ष 2021–22 की विभिन्न परीक्षाओं में अनुचित साधनों का उपयोग करने वाले परीक्षार्थियों के प्रकरण पर विचार करने हेतु विश्वविद्यालयीन अध्यादेश क्रमांक 05 के कंडिका क्रमांक 21 (7–ए) के प्रावधान के अनुसार कार्यपरिषद् द्वारा समिति का गठन एक वर्ष के लिये किया जाना है। वर्ष 2020–21 की परीक्षा हेतु कार्यपरिषद् द्वारा गठित अनुचित साधन प्रकरण समिति का कार्यकाल पूर्ण हो चुका है।
उपर्युक्त प्रकरण में तत्कालीन कुलपति महोदय द्वारा नई समिति का गठन प्रस्तावित किया गया है –

निरंतर...06

| | |
|---|---|
| 1. कार्यपरिषद् से शिक्षक सदस्य | प्रो. गोविन्द गंधे, लोकमान्य तिलक महाविद्यालय,उज्जैन |
| 2. संकायाध्यक्षों में से एक | प्रो.शैलेन्द्र कुमार शर्मा, हिन्दी अध्ययनशाला |
| 3. विद्यापरिषद् के शिक्षक सदस्यों में से एक | प्रो.शशिप्रभा जैन,शा.कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय,उज्जैन |
| 4. प्राचार्य सदस्य (एक) | डॉ. जे.एल. बरमैया, शा. माधव कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय, उज्जैन |
| 5. कुलसचिव | सचिव |

उक्त समिति के अनुमोदन हेतु कार्यपरिषद् की बैठक में प्रस्ताव प्रस्तुत है।

**निर्णय :-** निर्णय लिया गया कि विश्वविद्यालय की वर्ष 2021-22 की विभिन्न परीक्षाओं में अनुचित साधनों का उपयोग करने वाले परीक्षार्थियों के प्रकरण पर विचार करने हेतु विश्वविद्यालयीन अध्यादेश क्रमांक 05 के कंडिका क्रमांक 21 (7-ए) के प्रावधन के अनुसार कार्यपरिषद् द्वारा कुलपतिजी द्वारा गठित समिति का गठन एक वर्ष के लिये मान्य किया गया।

**(क्रियान्वयन - गोपनीय विभाग)**

**विषय क्रं.14** -मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय भोपाल के पत्र क्रमांक/220/ 1631/ 2019/1/3 भोपाल दिनांक 18 फरवरी 2020 को अंगीकृत किये जाने पर विचार ।

**टिप्पणी** - विक्रम विश्वविद्यालय द्वारा मध्यप्रदेश सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञाप क्रमांक सी 5-1/ 2013/1/3 दिनांक 7 अक्टूबर 2016 के अनुसार विश्वविद्यालय में कार्यरत दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को पात्रतानुसार स्थाईकर्मी किया गया है।

मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय के पत्र क्रमांक/220/1631/2019/1/3 भोपाल दिनांक 18 फरवरी 2020 के अनुसार दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को स्थाईकर्मी में विनियमित करने की योजना के तहत वेतनमान वार्षिक वेतनवृद्धि महंगाई भत्ता अवकाश आदि सुविधाए दिये जाने का उल्लेख किया गया है। अतः उक्त पत्र अनुसार स्थाईकर्मीयों को उक्त सुविधा प्रदान किये जाने हेतु उक्त पत्र को विश्वविद्यालय कार्यपरिषद में अंगीकृत किये जाने हेतु विचारार्थ प्रस्तुत।

**निर्णय :-** निर्णय लिया गया कि मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय भोपाल के पत्र क्रमांक/220/1631/ 2019/1/3 भोपाल दिनांक 18 फरवरी 2020 को यथावत अंगीकृत किया गया।

**(क्रियान्वयन - प्रशासन विभाग)**

**विषय क्रं.15**-राज्य शासन के सभी विभागों में समान सवंर्गो के लिए सुनिश्चित प्रौन्नयन योजना लागू करने के संबंध में तृतीय समयमान वेतनमान।

**टिप्पणी** - म.प्र.शासन वित्त विभाग वल्लभ भवन भोपाल के पत्र क्रं. 131/2250/2014/नियम/चार दिनांक 27.01.2015।

सामान्य प्रशासन विभाग (मंत्रालय) के संबंध में तृतीय समयमान वेतनमान अंन्तर्गत म.प्र. शासन वित्त वल्लभ भवन मंत्रालय भोपाल के परिपत्र क्र.131/2250/2014/नियम /चार दिनांक 27.01.2015 के अनुसार मंत्रालय एवं जीवाजीराव विश्वविद्यालय ग्वालियर एवं बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन के गैर शिक्षकीय नियमित कर्मचारियों को जिसमें नियुक्ति के पद सहायक ग्रेड-3, स्टेनो टाइपिस्ट (निज सहायक ) एवं निज

निरंतर...07

सहायक को निम्नानुसार उनके पदनाम के सामने समयमान वेतनमान अंकित वेतनबैण्ड एवं ग्रेड पे प्रदान किया जाना प्रस्तावित है।

| पदनाम | द्वितीय उच्चतर वेतनमान वेतन बैण्ड एवं ग्रेड पे | तृतीय उच्चतर वेतनमान वेतन बैण्ड एवं ग्रेड पे |
|---|---|---|
| 01. सहायक ग्रेड-3 | 9300-34800 +3600 | 9300-34800 + 4200 |
| 02. स्टेनो टाइपिस्ट (निज सहायक) | 9300-34800 +4200 | 15600-39100+ 5400 |
| 03. निज सहायक | 15600-39100 +6600 | 15600-39100 +7600 |

**निर्णय :-** निर्णय लिया गया कि म.प्र.शासन वित्त विभाग वल्लभ भवन भोपाल के पत्र क्रं. 131/2250/2014/नियम/चार दिनांक 27.01.2015 को यथावत अंगीकृत किया गया।

**(क्रियान्वयन – प्रशासन विभाग)**

**विषय क्रं.16**–विश्वविद्यालय के नव निर्मित छात्रावास भवन का नाम रखे जाने के संबंध में विचारार्थ प्रस्तुत।

**टिप्पणी** – उपर्युक्त संबंध में प्रस्तुत है कि विश्वविद्यालय का नव निर्मित छात्रावास भवन का नाम स्वर्गीय शालिगराम तोमर छात्रावास किये जाने हेतु प्रकरण कार्यपरिषद के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत।

**निर्णय :-** निर्णय लिया गया कि माननीय उच्चशिक्षा मंत्रीजी द्वारा नवीन छात्रावास के शुभारंभ अवसर पर इसका नामकरण श्री शालिगराम तोमर के नाम पर किये जाने की घोषणा की थी। कार्यपरिषद् द्वारा सर्वानुमति से उक्त नामकरण किये जाने का निर्णय लिया गया।

**(क्रियान्वयन – प्रशासन विभाग)**

**विषय क्रं.17**–श्रीमती ओमना कुरूप (पत्नी स्व. एम.आर.एम.कुरूप) के पेंशन एरियर्स के भुगतान हेतु सूचनार्थ।

**टिप्पणी** – श्री एम.आर.एम.कुरूप जो वि.वि. की सेवाओं से दिनांक 31.03.2000 को सेवा निवृत्त होकर दिनांक 08.03.2018 को स्वर्गवासी हो चुके है। उनके दिनांक 01.09.2008 से 31.03.2014 के समेकित पेंशन एरियर्स हेतु उनकी पत्नी श्रीमती ओमना कुरूप के द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में दायर याचिका क्रं. 2332/2021 के निर्णय दिनांक 21.06.2021 के अनुसार एरियर्स के भुगतान के निर्देश दिए गए थे। फलस्वरूप विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी पेंशन भोपाल के द्वारा वि.वि. में पत्र क्र.805 दिनांक 28.09.2021 भुगतान हेतु जारी किया गया, चुंकि पेंशन का भुगतान एवं पेंशन एरियर्स का भुगतान शासन/इलाहाबाद बैंक भोपाल के द्वारा किया जाता है फलस्वरूप वि.वि. द्वारा उक्तानुसार पत्र क्र. 1414 दिनांक 01.11.2021 विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी आयुक्त कार्यालय को भेजा गया था, तद्पश्चात प्रकरण पर दिनांक 27.01.2021 को मंत्रालय में समीक्षा बैठक में श्रीमान ए.सी.एस. महोदय द्वारा माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय के परिप्रेक्ष मे दूरभाष पर कुलसचिव जी को पेंशन एरियर्स राशि के भुगतान के निर्देश दिये गये फलस्वरूप आडिट की टीप अनुसार पेंशन एरियर्स की अनुमानित राशि 216841/- वि.वि. स्तर से भुगतान कर पेंशन फण्ड में से समायोजित की जाकर पारित किया गया फलस्वरूप वि.वि.द्वारा श्रीमती ओमना कुरूप के नाम से राशि रू. 216841/- चेक क्र. 202124 दिनांक 10.02.2022 जारी किया गया।

उक्त प्रकरण कार्यपरिषद के समक्ष अवलोकनार्थ एवं सूचनार्थ प्रस्तुत।

**निर्णय :-** निर्णय लिया गया कि श्रीमती ओमना कुरूप (पत्नी स्व. एम.आर.एम.कुरूप) के पेंशन एरियर्स के किये भुगतान की राशि 216841/- की सूचना ग्राहय की गई।

**(क्रियान्वयन – प्रशासन विभाग)**

निरंतर...08

**विषय क्रं.18**–एन.सी.सी. के कार्यक्रम विद्यार्थी कल्याण संकाय के बजट के साथ कराये जाने पर विचार।

**निर्णय :–** निर्णय लिया गया कि एन.सी.सी. के विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त कार्यक्रम विद्यार्थी कल्याण संकाय के बजट के साथ कराये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई।

**(क्रियान्वयन – प्रशासन विभाग)**

**विषय क्रं.19**–वर्ष 2020 की उपाधि मुद्रण कार्य को एक वर्ष की अवधि बढाने हेतु।

**टिप्पणी –** विश्वविद्यालय द्वारा जारी वर्ष 2018 एवं 2019 की उपाधि मुद्रण हेतु निविदा क्रमांक/भण्डार/2020/204 दिनांक 13.09.2020 को समाचार पत्र में प्रकाशित की गई थी। दिनांक 09.10.2020 को उच्च क्रय समिति की बैठक द्वारा अनुशंसित किया जाकर कार्यपरिषद की बैठक दिनांक 20.02.21 द्वारा मेसर्स सिक्योरिटी प्रिटर्स, कानपुर की प्रस्तावित न्यूनतम दर स्वीकार की गई थी। वर्ष 2020 की उपाधि मुद्रण हेतु अनुबंध के अनुसार दोनो पक्षों की सहमति से एक वर्ष की अवधि बढाने की स्वीकृति प्रदान की गई है। प्रकरण कार्यपरिषद के समक्ष सूचनार्थ।

**निर्णय :–** निर्णय लिया गया कि वर्ष 2020 की उपाधि मुद्रण हेतु अनुबंध के अनुसार दोनो पक्षों की सहमति से एक वर्ष की अवधि बढाने की स्वीकृति की सूचना ग्राहय की गई।

**(क्रियान्वयन – परीक्षा/गोपनीय विभाग)**

**विषय क्रं.20**–खेल मैदान के विकास एवं प्रबन्धन हेतु म.प्र. क्रिकेट एसोसिएशन एवं संभागीय क्रिकेट एसोसिएशन के मध्य MOU किये जाने पर विचार।

**निर्णय :–** निर्णय लिया गया कि खेल मैदान के विकास एवं प्रबन्धन हेतु म.प्र. क्रिकेट एसोसिएशन एवं संभागीय क्रिकेट एसोसिएशन के मध्य MOU किये जाने की अनुमति प्रदान की गई।

**(क्रियान्वयन – विकास विभाग)**

**विषय क्रं.21**–कुलगान/कुलगीत में विक्रमादित्य महिमा जोडने पर विचार।

**निर्णय :–** निर्णय लिया गया कि विश्वविद्यालय का एक कुलगीत जिसमें विश्वविद्यालय उज्जैनी, महांकाल एवं सम्राट विक्रमादित्य की महिमा का उल्लेख करते हुए, की संरचना किये जाने की अनुशंसा करती है।

**(क्रियान्वयन – प्रशासन विभाग)**

**विषय क्रं.22**–शिक्षकों/कर्मचारियों की ग्रेच्युटी की राशि 10 लाख से अधिकतम 20 लाख तक करने पर विचार।

**निर्णय :–** निर्णय लिया गया कि शासन के पत्र क्रमांक एफ 9–13/17/नियम/चार भोपाल, दिनांक 26.10.2017 को यथावत अंगीकृत किया गया साथ ही म.प्र.शासन वित्त विभाग के पत्र क्रमांक एफ 6–1/2018/नियम/चार भोपाल,दिनांक 8 मार्च, 2019 को भी अंगीकृत किया गया एवं तदनुसार आवश्यक कार्यवाही की जाए। 01 जुलाई, 2018 के पश्चात सेवानिवृत्त शिक्षक, अधिकारी एवं कर्मचारियों के लिये अर्जित अवकाश के नगदीकरण की अधिकतम सीमा बढाकर 300 दिवस मान्य की गई।

**(क्रियान्वयन – प्रशासन विभाग)**

**विषय क्रं.23**–शिक्षकों के सातवें वेतनमान की 50 प्रतिशत एरियर की शेष राशि के भुगतान पर विचार।

**टिप्पणी :–** उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि कार्यालय आयुक्त, उच्चशिक्षा, म.प्र. शासन सतपुडा भवन, भोपाल के पत्र क्रं./288/125/आउशि/अनु.बजट/21 भेपाल, दिनांक 23.02.2022 द्वारा विश्वविद्यालयीन शिक्षकों को दिनांक 01.01.2016 से 31.03.2018 तक सातवे वेतनमान में देय एरियर की शेष राशि का 50 प्रतिशत राशि रूपये 3,12,00,000/– (अक्षरी रूपये तीन करोड़ बारह लाख मात्र) का भुगतान करने हेतु प्रकरण कार्यपरिषद् के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत।

निरंतर...09

**निर्णय :-** निर्णय लिया गया कि राज्य शासन के निर्देशानुसार कार्यवाही कर शिक्षकों को देय एरियर राशि की द्वितीय किश्त शेष 50 प्रतिशत राशि के भुगतान किये जाने की अनुशंसा मान्य की गई।

**(क्रियान्वयन - प्रशासन विभाग)**

**विषय क्रं.24**–लीयन प्रकरण पर विचार।

**टिप्पणी :-** डॉ. रमण सोलंकी, उत्खनन प्रभारी वि.वि. से प्राप्त पत्र अनुसार डॉ. रमण सोलंकी द्वारा पूर्व में धारित पद ''सहायक म्यूजियम कीपर'' से 2 वर्ष की लीयन प्रदान करने हेतु निवेदन किया है।

**वि.वि. परिनियम 31 के बिन्दु क्रमांक 10 में निम्नानुसार उल्लेख है :-**

"On Confrmation on a permanent post, a University employee acquires a lien on that post. University employee holding a permanent post substantively, if appointed substantively to another post,acquires a lien on the second post and ceases to hold any lien on the first one."

प्रकरण कार्यपरिषद् के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत।

**निर्णय :-** निर्णय लिया गया कि डॉ. रमण सोलंकी को वि.वि. परिनियम 31 के बिन्दु क्रमांक 10 एवं 11 के अनुसार 2 वर्ष की लीयन की अनुशंसा की जाती है।

**(क्रियान्वयन - प्रशासन विभाग)**

**विषय क्रं.25** –विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 04.02.2022 के विषय क्रमांक 7 पर लिए गए निर्णय अनुसार विश्वविद्यालय द्वारा निर्मित रिसर्च पालिसी का अनुमोदन किया गया एवं कार्यपरिषद के समक्ष प्रस्तुत करने की अनुशंसा की गई।

**निर्णय :-** निर्णय लिया गया कि विश्वविद्यालय द्वारा निर्मित रिसर्च पालिसी का अनुमोदन किया गया।

**(क्रियान्वयन - आई.क्यू.एसी.)**

**विषय क्रं.26**–विश्वविद्यालय के स्वास्थ्य केन्द्र में कार्यरत डॉ. एस.सी. उपाध्याय के मानदेय में वृद्धि करने विषयक।

**टिप्पणी –** विक्रम विश्वविद्यालय के स्वास्थ्य केन्द्र में रिक्त स्वास्थ्य अधिकारी के पद के विरूद्ध मानदेय पर कार्यरत डॉ. एस.सी. उपाध्याय को कार्यपरिषद की बैठक दिनांक 27.07.2017 के निर्णय अनुसार कार्यालयीन आदेश क्रमांक 2023 दिनांक 03.08.2017 के द्वारा मानदेय की राशि रूपये 12000/- प्रतिमाह मानदेय हेतु स्वीकृत की गई थी।

**(क्रियान्वयन - प्रशासन विभाग)**

अतः विश्वविद्यालय में स्वास्थ्य सुविधाओं के तारतम्य में स्वास्थ्य अधिकारी का मानदेय बढ़ाये जाने हेतु रूपये 12000/- के स्थान पर रूपये 15000/- मानदेय में वृद्धि किये जाने हेतु प्रकरण कार्यपरिषद के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत।

**निर्णय :-** निर्णय लिया गया कि स्वास्थ्य अधिकारी के पद के विरूद्ध मानदेय पर कार्यरत डॉ. एस.सी.उपाध्याय का मानदेय रूपये 12000/- के स्थान पर रूपये 15000/- मानदेय में वद्धि किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

**(क्रियान्वयन - प्रशासन विभाग)**

**विषय क्रं.27**–अधिवक्ताओं के पेनल निर्धारण हेतु गठित समिति द्वारा दिये गए नामों के अनुमोदन पर विचार।

**निर्णय :-** निर्णय लिया गया कि अधिवक्ताओं के पेनल निर्धारण हेतु गठित समिति द्वारा दिये गए नामों का अनुमोदन किया गया एवं समस्त अधिवक्ताओं के Bio-Data प्राप्त कर प्रकरण आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जाए।

**(क्रियान्वयन - विधि प्रकोष्ट विभाग)**

निरंतर...10

**विषय क्रं.28**–विश्वविद्यालय परिसर में निर्माण कार्य विषयक।

01. विक्रमतीर्थ सरोवर के विकास
02. अकादमिक परिसर के मुख्य द्वार के चबूतरे को बढाने
03. सुमन मानविकी भवन के बाहर सायकल स्टेण्ड को बढाने एवं
04. प्रशासनिक भवन के मैदान (कैंटीन के सामने) जमीन कांक्रिट,पेबल लगाने एवं डोम का निर्माण किये जाने का प्रस्ताव।

**निर्णय** :- निर्णय लिया गया कि प्रकरण आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जाए।

**(क्रियान्वयन – यांत्रिकी विभाग)**

**अध्यक्ष महोदय की अनुमति से अन्य विषय पर विचार**

**विषय क्रं.1**– सत्र 2021–22 का प्रवेश विज्ञापन के प्रकाशन हेतु राशि रु 963917/– (अक्षरी रुपये नौ लाख त्रैसठ हजार नौ सौ सत्रह मात्र) के भुगतान की स्वीकृति प्रदान करने पर विचार।

**टीप** :- सत्र 2021–22 प्रवेश सूचना विज्ञापन के प्रकाशन संबंध में प्रारूप अनुमोदन एवं सक्षम स्वीकृति पश्चात म.प्र.माध्यम भोपाल को राष्ट्रीय स्तर के एक दिल्ली संस्करण, म.प्र., छत्तीसगढ़ सहित अंग्रेजी समाचार पत्र, राज्य स्तर के दो हिन्दी समाचार पत्र म.प्र. संस्करण में तथा रोजगार एवं निर्माण में प्रकाशन हेतु दिनांक 04/06/2021 को भेजा गया था।

प्रभारी (विज्ञापन) म.प्र. माध्यम भोपाल से प्राप्त देयक क्रमांक 102499 दिनांक 10/08/2021 राशि 963917/– का भुगतान किया जाना है। अतः वित्त वर्ष 2021–22 बजट मद 3(37) विज्ञापन पर व्यय में शेष राशि 4400000/– से भारित होगा।

अतः राशि रूपये 963917/– के भुगतान की स्वीकृति हेतु प्रकरण कार्यपरिषद् के समक्ष विचारार्थ।

**निर्णय** :- निर्णय लिया गया कि प्रभारी (विज्ञापन) म.प्र. माध्यम भोपाल से प्राप्त देयक क्रमांक 102499 दिनांक 10/08/2021 राशि 963917/– के भुगतान की स्वीकृती प्रदान की गई।

**(क्रियान्वयन – लेखा विभाग)**

**विषय क्रं.2**– राज्य शासन के अधीन सिविल सेवाओं के लिए सीधी भर्ती पर लगे प्रतिबंध को शिथिल करने बाबत् पत्र को विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन द्वारा अंगीकृत किए जाने पर प्रकरण विचारार्थ।

**टीप** :- म.प्र. शासन का पत्र क्रं. एफ 11–3/2021/नियम/चार भोपाल दिनांक 13 अगस्त 2021 द्वारा राज्य की सिविल सेवाओं के लिए स्वीकृत कुल पदो के 5 प्रतिशत तक रिक्त पदो को भरने के लिए प्रशासकीय अधिकार प्रत्यायोजित है।

अतः उक्त पत्र को विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन द्वारा अंगीकृत किए जाने हेतु प्रकरण कार्यपरिषद् के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत।

**निर्णय** :- निर्णय लिया गया कि म.प्र. शासन का पत्र क्रं. एफ 11–3/2021/नियम/चार भोपाल दिनांक 13 अगस्त 2021 को यथावत अंगीकृत किया गया।

**(क्रियान्वयन – प्रशासन विभाग)**

निरंतर...11

**विषय क्रं.3-** विश्वविद्यालय द्वारा विभिन्न संस्थाओं एवं अन्य विश्वविद्यालयों (01. Atal Bihari Vajpayee Institute of Good Governance and Policy Analysis, Bhopal, 02. Shrimant Madhavrao Scindia Govt. Model Science College, Gwalior) के मध्य समझोते के आलेख पर हस्ताक्षरार्थ उपरांत कार्यपरिषद् के समक्ष सूचनार्थ।

**निर्णय :-** निर्णय लिया गया कि उपरोक्त विश्वविद्यालय द्वारा विभिन्न संस्थाओं एवं अन्य विश्वविद्यालयो के मध्य समझोते के आलेख पर हस्ताक्षर की सूचना ग्राह्य की गई, एवं मान्य किया गया।

**(क्रियान्वयन - विकास विभाग)**

**विषय क्रं.4-** न्यायालयीन अवमानना प्रकरण क्रमांक Conc/2213/2021 श्री ओमप्रकाश वर्मा विरुद्ध श्री बालकृष्ण शर्मा एवं अन्य में परिपालन प्रतिवेदन (Complins Reports) प्रस्तुत किये जाने विषयक प्रकरण कार्यपरिषद् के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत।

**टिप्पणी –** न्यायालयीन अवमानना प्रकरण श्री ओमप्रकाश वर्मा द्वारा स्थायीकर्मी घोषित किये जाने हेतु माननीय उच्च न्यायालय में रिटपिटिशन लगाई गई थी। जिसमें उक्त दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी को पूर्व में किए गए 3 कर्मचारियों के समान स्थायीमर्की घोषित करने के निर्देश सहमति शासन द्वारा दी गई। माधव विज्ञान महाविद्यालय द्वारा श्री उच्च न्यायालय के अवमानना प्रकरण क्रमांक 2213/2021 की सुनवाई में परिपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करने से पूर्व संबंधित कर्मचारी श्री ओमप्रकाश वर्मा को स्थायीकर्मी नियुक्त करने की सिफारीश की गई है।

**निर्णय :-** निर्णय लिया गया कि श्री ओमप्रकाश वर्मा को स्थायीकर्मी घोषित किये जाने की अनुशंसा की गई।

**(क्रियान्वयन - प्रशासन विभाग)**

**विषय क्रं.5-** उत्तर पुस्तिका क्रय करने की स्वीकृति के संबंध में प्रकरण कार्यपरिषद् के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत।

**टिप्पणी –** आगामी माह मार्च-अप्रैल 2022 की वार्षिक परीक्षा में नियमित/स्वाध्यायी विद्यार्थियों की अनुमानित संख्या 1,50,000 (एक लाख पचास हजार मात्र) परीक्षार्थी सम्मिलित होंगे तथा 2022 II,IV,VI की PG/UG Semester परीक्षा में अनुमानित 50,000 परीक्षार्थी सम्मिलित होंगे। इसी तरह समस्त प्रकार की पूरक/ए.टी. 2022 की परीक्षा में अनुमानित 10,000 परीक्षार्थी सम्मिलित होने की संभावना है। उपराक्तानुसार परीक्षाओं में अनुमानित कुल दो लाख दस हजार छात्र-छ्राएं सम्मिलित होने का अनुमान है। UG की परीक्षाओं में प्रति बच्चे अनुमानित 9 उत्तर पुस्तिका का उपयोग होने से 1,50,000 (एक लाख पचास हजार मात्र) परीक्षार्थियों में 13,50,000 (तेरह लाख पचास हजार) मात्र उत्तर पुस्तिका का उपयोग होगा तथा PG के प्रति बच्चे 4 उत्तर पुस्तिका के मान से 50,000 ( पचास हजार) परीक्षार्थियों में 2,00,000 (दो लाख) उत्तर पुस्तिका का उपयोग होगा तथा प्रायेगिक परीक्षा हेतु 12 पेज की 3,00,000 (तीन लाख) उत्तर पुस्तिकाओं की आवश्यकता होगी।

उपरोक्तानुसार परीक्षाओं के लिये विभागीय उत्तर पुस्तिकाओं का भण्डार इस प्रकार है :-

1. PC/PG/UG (बार कोड) उत्तर-पुस्तिका, 40 पेज 1,40,000/-
2. PG उत्तर-पुस्तिका, 40 पेज 70,000/-
3. UG उत्तर-पुस्तिका, 40 पेज 7,00,000/-
4. मुख्य उत्तर-पुस्तिका, 24 पेज 16,325/-
5. पुरक उत्तर-पुस्तिका, 12 पेज 2,43,000/-

उपरोक्त भण्डार एवं अनुमानित परीक्षार्थियों के मान से आगामी परीक्षाओं हेतु उत्तर पुस्तिका क्रय की जाने की आवश्यकता होगी।

अतः आगामी पराक्षाओं हेतु निम्नानुसार उत्तर पुस्तिका क्रय की जाना प्रस्तावित है। विभागीय UG/PG स्टॉक के पश्चात् बार कोड उत्तर-पुस्तिका, 40 पेज 1,40,000/- का

निरंतर...12

उपयोग नही किया जाने की स्थिति में UG की सत्र 2022 वार्षिक तथा PG की II,IV,VI सेमेस्टर की परीक्षा हेतु निम्नानुसार उत्तर पुस्तिका क्रय की आवश्यकता रहेगी –
PG उत्तर-पुस्तिका, 40 पेज 1,30,000/-
UG उत्तर-पुस्तिका, 40 पेज 6,50,000/-
उपरोक्त उत्तर पुस्तिका क्रय के आंकडे परीक्षार्थियों की वास्तविक स्थिति पर कम ज्यादा की संभावना रहेगी।
उत्तर पुस्तिका के क्रय में रू. 1,40,00,000 (एक करोड चालीस लाख मात्र) का विभागीय बजट है। उक्त राशि की प्रशासकीय वित्तीय स्वीकृति के साथ ही प्रस्ताव कार्यपरिषद की बैठक के समक्ष स्वीकृति के लिये विचारार्थ प्रस्तुत।

**निर्णय :-** निर्णय लिया गया कि बार कोड वाली 1,40,000/- उत्तर पुस्तिकाएं अच्छी अवस्था में होने पर उनके उपयोग के साथ अन्य उत्तर पुस्तिका क्रय किये जाने हेतु Tender प्रक्रिया की जाने की अनुशंसा की जाती है।

**(क्रियान्वयन – मुद्रणालय विभाग)**

**विषय क्रं.6-** सचिव श्री जवाहरलाल नेहरू विधि महाविद्यालय,ट्रस्ट मंदसौर से प्राप्त पत्र क्रमांक 1255/JNLT/2022 दिनांक 22.02.22 कार्यपरिषद् के समक्ष सुचनार्थ प्रस्तुत।

**निर्णय :-** निर्णय लिया गया कि सचिव श्री जवाहरलाल नेहरू विधि महाविद्यालय,ट्रस्ट मंदसौर से प्राप्त पत्र अनुसार महाविद्यालय के श्री नरेन्द्र कुमार जैन के प्राचार्य पद से कार्यमुक्ति की सूचना ग्राहय की गई एवं उपरोक्त संबंध में राजभवन पत्र भेजे जाने की अनुशंसा की गई।

**(क्रियान्वयन – अकादमिक विभाग)**

**विषय क्रं.7-** शोध अभ्यार्थी श्री मुकेश यादव को मरणोपरान्त पी.एचडी. की उपाधि प्रदान करने पर विचार।

**टिप्पणी –** शोध अभ्यार्थी श्री मुकेश यादव की शोध मुल्यांकन की रिपोर्ट प्राप्त होने के पश्चात पी.एचडी. मौखिकी के पूर्व कोरोना काल में निधन हो गया। परिवार के सदस्यों द्वारा मरणोपरान्त श्री मुकेश यादव को पी.एचडी. उपाधि प्रदान करने हेतु निवेदन किया है। प्रकरण कार्यपरिषद् के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत।

**निर्णय :-** निर्णय लिया गया कि शोध अभ्यार्थी श्री मुकेश यादव को मरणोपरान्त पी.एचडी. की उपाधि प्रदान करने हेतु कार्यपरिषद् द्वारा समिति गठित की जाती है :-

| | | |
|---|---|---|
| 01. | डॉ. पी.के वर्मा | अध्यक्ष |
| 02. | प्रो. शैलेन्द्र कुमार शर्मा | सदस्य |
| 03. | डॉ. दीपिका गुप्ता | सदस्य |

**अध्यक्ष के प्रति धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक संपन्न हुई।**

कुलपति

कुलसचिव
04/03/2

# विक्रम विश्वविद्यालय,उज्जैन

क्रमांक/अकादमिक/सम्मिलन/2022/ 446

दिनांक :- 17/3/2022

प्रति,

माननीय कुलाधिपति एवं राज्यपाल के सचिव,
राजभवन,
भोपाल।

**विषय :- कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 16.03.2022, निरंतर 17.03.2022 के कार्यविवरण विषयक।**

**महोदय,**

उपर्युक्त विषयान्तर्गत इस पत्र के साथ कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 16.03.2022, निरंतर 17.03.2022 का कार्यविवरण आपकी ओर संलग्न प्रेषित किया जा रहा है।

आदेशानुसार

कुलसचिव

संलग्न :- उपरोक्तानुसार

क्रमांक/अकादमिक/सम्मिलन/2022/ 447

दिनांक :- 17/3/2022

प्रतिलिपि :-

01. कार्यपरिषद् के समस्त माननीय सदस्यगण।
02. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
03. आयुक्त, उच्च शिक्षा विभाग, सतपुड़ा भवन, भोपाल।

उपकुलसचिव(अकादमिक)

# विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन

क्रमांक/अकादमिक/सम्मिलन/2022/ 445 दिनांक :- 17/3/2022

कार्यपरिषद्

की

बैठक के कार्यविवरण

स्थान :- माधव भवन, उज्जैन

तिथि : 16.03.2022 निरंतर 17.03.2022

समय : अपरान्ह 12.00 बजे

-:: उपस्थिति ::-

| | | |
|---|---|---|
| 01. | प्रो. अखिलेश कुमार पाण्डेय | कुलपति एवं अध्यक्ष |
| 02. | डॉ. लक्ष्मीनारायण शर्मा | सदस्य |
| 03. | डॉ.(श्रीमती) दीपिका गुप्ता | सदस्य |
| 04. | डॉ. शैलेन्द्र कुमार शर्मा | सदस्य |
| 05. | डॉ. पी.के. वर्मा | सदस्य |
| 06. | डॉ. दिनेश कुमार सोनी | सदस्य |
| 07. | डॉ. गोविन्द गन्धे | सदस्य |
| 08. | डॉ. आर.सी. जाटवा (अति.संचालक,उज्जैन संभाग) | सदस्य |
| 09. | श्रीमती सुषमा ठाकुर (संयुक्त संचालक कोष एवं लेखा) | सदस्य |
| 10. | श्री राजेश सिंह कुशवाह | सदस्य |
| 11. | श्री सचिन दवे | सदस्य |
| 12. | सुश्री ममता बेंडवाल | सदस्य |
| 13. | श्रीमती कुसुमलता निगवाल | सदस्य |
| 14. | श्री विनोद यादव | सदस्य |
| 15. | श्री संजय नाहर | सदस्य |
| 16. | डॉ. प्रशांत पुराणिक | कुलसचिव एवं सचिव |

दिनांक 16.03.2022 को आयोजित कार्यपरिषद् बैठक में प्रस्तुत बजट पर विचार उपरांत बैठक स्थगित कर पुनः 17.03.2022 को अपरान्ह 12.00 बजे प्रारंभ की गई।

विषय क्रं.1- कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 02.03.2022 के कार्यविवरण की पुष्टि पर विचार।

निर्णय :- निर्णय लिया गया कि कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 02.03.2022 के कार्यविवरण की पुष्टि की गई।

(क्रियान्वयन - अकादमिक विभाग)

विषय क्रं.2- बजट वित्तीय वर्ष 2021-22 के पुनरीक्षित वित्तीय अनुमानों तथा बजट वित्तीय वर्ष 2022-23 के मूल वित्तीय अनुमानों एवं वित्तीय वर्ष 2020-21 के वास्तविक आय-व्यय

पर विचार।

**निर्णय :-** वित्त समिति की बैठक दिनांक 07.03.2022 में वित्त समिति द्वारा की गई अनुशंसा अनुसार बजट वित्तीय वर्ष 2021-22 के पुनरीक्षित वित्तीय अनुमानों तथा बजट वित्तीय वर्ष 2022-23 के मूल वित्तीय अनुमानों एवं वित्तीय वर्ष 2020-21 के वास्तविक आय-व्यय का विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 24 (4) के प्रावधान अनुसार विश्वविद्यालय के वार्षिक वित्तीय प्राक्कलन/पुनरीक्षित प्रस्ताव का विरचन किया जाकर सभा के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत करने की अनुशंसा कार्यपरिषद् द्वारा की गई।

**(क्रियान्वयन - लेखा विभाग)**

## अध्यक्ष महोदय की अनुमति से अन्य विषय पर विचार

**विषय क्रं.1-** विक्रम विश्वविद्यालय परिसर स्थित पुराने एवं जर्जर पानी की टंकी सम्पवेल सहित/भवन/कक्ष तोडने पर विचार।

**टिप्पणी –** उपरोक्त विषयांतर्गत लेख है कि विक्रम विश्वविद्यालय के अकादमिक परिसर में विगत 50–55 वर्ष पूर्व पानी की टंकी निर्मित की गई थी। उक्त पानी की टंकी एवं सम्पवेल अत्यधिक जर्जर अवस्था में है, एवं संरचना क्षतिग्रस्त होकर प्लास्टर, कांक्रीट आदि प्रायः गिरता रहता है। साथ ही विश्वविद्यालय के महाराजा जीवाजीराव पुस्तकालय के समीप स्थित कैंटीन भवन विगत 50 वर्ष पुराना होकर जर्जर हो गया है, तथा पंडित जवाहर लाल नेहरू प्रबंध संस्थान के पीछे स्थित एक कक्ष भी पुराना होकर जर्जर अवस्था में है।

अतः उपरोक्त पानी की टंकी पम्प हाउस सहित, कैंटीन भवन तथा कक्ष संरचना क्षतिग्रस्त होने के कारण किसी भी समय जनहानी न हो इसलिए उक्त को तोडा जाना प्रस्तावित है।

उपरोक्त प्रस्ताव कार्यपरिषद् के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत।

**निर्णय :-** निर्णय लिया गया कि उपरोक्त प्रस्ताव यथावत मान्य किया गया।

**अध्यक्ष के प्रति धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक संपन्न हुई।**

कुलपति

कुलसचिव

D:/meeting sastion/ECNew/

# विक्रम विश्वविद्यालय,उज्जैन

क्रमांक/अकादमिक/सम्मिलन/2022/ 460 दिनांक :- 21/3/2022

प्रति,

मानीय कुलाधिपति एवं राज्यपाल के सचिव,
राजभवन,
भोपाल।

**विषय :- कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 19.03.2022 के कार्यविवरण विषयक।**

**महोदय,**

उपर्युक्त विषयान्तर्गत इस पत्र के साथ कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 19.03.2022 का कार्यविवरण आपकी ओर संलग्न प्रेषित किया जा रहा है।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार

आदेशानुसार
कुलसचिव

क्रमांक/अकादमिक/सम्मिलन/2022/ 461 दिनांक :- 21/3/2022

प्रतिलिपि :-

01. कार्यपरिषद् के समस्त माननीय सदस्यगण।
02. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
03. आयुक्त, उच्च शिक्षा विभाग, सतपुड़ा भवन, भोपाल।

उपकुलसचिव(अकादमिक)

# विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन

क्रमांक/अकादमिक/सम्मिलन/2022/451 दिनांक :- 19/3/2022

कार्यपरिषद्
की
बैठक के कार्यविवरण

स्थान :- माधव भवन, उज्जैन

तिथि : 19.03.2022
समय : अपरान्ह 03.00 बजे

-:: उपस्थिति ::-

| | | |
|---|---|---|
| 01. | प्रो. अखिलेश कुमार पाण्डेय | कुलपति एवं अध्यक्ष |
| 02. | डॉ. लक्ष्मीनारायण शर्मा | सदस्य |
| 03. | डॉ.(श्रीमती) दीपिका गुप्ता | सदस्य |
| 04. | डॉ. शैलेन्द्र कुमार शर्मा | सदस्य |
| 05. | डॉ. पी.के. वर्मा | सदस्य |
| 06. | डॉ. दिनेश कुमार सोनी | सदस्य |
| 07. | डॉ. गोविन्द गन्धे | सदस्य |
| 08. | डॉ. आर.सी. जाटवा (अति.संचालक,उज्जैन संभाग) | सदस्य |
| 09. | श्री राजेश सिंह कुशवाह | सदस्य |
| 10. | श्री सचिन दवे | सदस्य |
| 11. | सुश्री ममता बेंडवाल | सदस्य |
| 12. | श्री विनोद यादव | सदस्य |
| 13. | श्री संजय नाहर | सदस्य |
| 14. | डॉ. प्रशांत पुराणिक | कुलसचिव एवं सचिव |

**विषय क्रं.1–** कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 16.03.2022, निरंतर 17.03.2022 के कार्यविवरण की पुष्टि पर विचार।

**निर्णय :–** निर्णय लिया गया कि कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 16.03.2022, निरंतर 17.03.2022 के कार्यविवरण की पुष्टि की गई। **(क्रियान्वयन – अकादमिक विभाग)**

**विषय क्रं.2–** दिनांक 19.03.2022 को सम्पन्न सभा की बैठक के कार्यविवरण पर विचार।

**निर्णय :–** निर्णय लिया गया कि दिनांक 16.03.2022, निरंतर 17.03.2022 को सम्पन्न कार्यपरिषद् द्वारा विरचित एवं विश्वविद्यालय सभा द्वारा दिनांक 19.03.2022 को स्वीकृत वित्तीय वर्ष 2021-22 के पुनरीक्षित वित्तीय अनुमानों तथा बजट वित्तीय वर्ष 2022-23 के मूल वित्तीय अनुमानों एवं वित्तीय वर्ष 2020-21 के वास्तविक आय-व्यय के अनुसार विश्वविद्यालय के वार्षिक वित्तीय प्राक्लन को अंगीकृत किया गया।

**(क्रियान्वयन – अकादमिक विभाग)**

अध्यक्ष के प्रति धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक संपन्न हुई।

कुलपति

कुलसचिव 19/3/22

D:/meeting sastion/ECNew/

# विक्रम विश्वविद्यालय,उज्जैन

क्रमांक/अकादमिक/सम्मिलन/2022/ 874 दिनांक :-18/4/2022

प्रति,

माननीय कुलाधिपति एवं राज्यपाल के सचिव,
राजभवन,
भोपाल।

**विषय :- कार्यपरिषद् की आपात बैठक दिनांक 12.04.2022 के कार्यविवरण विषयक।**

**महोदय,**

उपर्युक्त विषयान्तर्गत इस पत्र के साथ कार्यपरिषद् की आपात बैठक दिनांक 12.04.2022 का कार्यविवरण आपकी ओर संलग्न प्रेषित किया जा रहा है।

आदेशानुसार

कुलसचिव

**संलग्न :- उपरोक्तानुसार**

क्रमांक/अकादमिक/सम्मिलन/2022/ 875 दिनांक :-18/4/2022

प्रतिलिपि :-

01. कार्यपरिषद् के समस्त माननीय सदस्यगण।
02. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
03. आयुक्त, उच्च शिक्षा विभाग, सतपुड़ा भवन, भोपाल।

सहायक कुलसचिव(अकादमिक)

# विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन

क्रमांक/अकादमिक/सम्मिलन/2022/824 दिनांक :- 13/4/2022

कार्यपरिषद् की
आपात
बैठक के कार्यविवरण

स्थान :- माधव भवन, उज्जैन

तिथि : 12.04.2022
समय : अपरान्ह 12.00 बजे

-:: उपस्थिति ::-

| | | |
|---|---|---|
| 01. | प्रो. अखिलेश कुमार पाण्डेय | कुलपति एवं अध्यक्ष |
| 02. | डॉ. शैलेन्द्र कुमार शर्मा | सदस्य |
| 03. | डॉ. दिनेश कुमार सोनी | सदस्य |
| 04. | डॉ. गोविन्द गन्धे | सदस्य |
| 05. | डॉ. आर.सी. जाटवा (अति.संचालक,उज्जैन संभाग) | सदस्य |
| 06. | श्रीमती सुषमा ठाकुर (संयुक्त संचालक कोष एवं लेखा) | सदस्य |
| 07. | श्री राजेश सिंह कुशवाह | सदस्य |
| 08. | श्री सचिन दवे | सदस्य |
| 09. | श्री विनोद यादव | सदस्य |
| 10. | श्री संजय नाहर | सदस्य |
| 11. | डॉ. प्रशांत पुराणिक | कुलसचिव एवं सचिव |

**विषय क्रं.1-** कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 19.03.2022 के कार्यविवरण की पुष्टि पर विचार।
**निर्णय :-** निर्णय लिया गया कि कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 19.03.2022 के कार्यविवरण की पुष्टि की गई। **(क्रियान्वयन - अकादमिक विभाग)**

**विषय क्रं.2-** NAAC की तैयारी के संबंध मे विस्तृत विवरण पर विचार।
**निर्णय :-** NAAC की तैयारी के संबंध में कार्यपरिषद् को अवगत कराया गया कि IIQA, SSR और DVV जमा हो चुका है तथा AQAR सत्र 2020-21 को अनुमोदित किया गया।

**(क्रियान्वयन - आई.क्यू.ए.सी. विभाग)**

**विषय क्रं.3-** विद्यापरिषद की स्थायी समिति की ऑनलाईन एवं ऑफलाईन बैठक दिनांक 11.03.2022 के कार्यविवरण की पुष्टि पर विचार।
**निर्णय :-** निर्णय लिया गया कि विद्यापरिषद् की ऑफलाईन/ऑनलाईन बैठक दिनांक 11.03.2022 के कार्यविवरण की पुष्टि की गई। **(क्रियान्वयन - अकादमिक विभाग)**

निरंतर...02

**विषय क्रं.4-** सत्र 2021-22 की परीक्षाओं हेतु निम्नलिखित महाविद्यालयों को परीक्षा केन्द्र बनाए जाने संबंधी।

**टिप्पणी** – माननीय कुलपतिजी द्वारा म.प्र.विश्वविद्यालय अधिनियम की धारा 15 (4) के अंतर्गत गठित समिति की अनुशंसा अनुसार निम्नलिखित शासकीय महाविद्यालयों को परीक्षा केन्द्र के रूप में मान्यता प्रदान की गई :-

01. शासकीय महाविद्यालय, बाजना जिला रतलाम।
02. शासकीय महाविद्यालय, ताल जिला रतलाम।
03. शासकीय महाविद्यालय, सुवासरा जिला मंदसौर।
04. शासकीय महाविद्यालय, जीरन जिला नीमच।

**एतद सूचनार्थ।**

एवं शासकीय महाविद्यालय, सोयत जिला आगर से प्राप्त पत्र पर विचार।

**निर्णय :-** निर्णय लिया गया कि सत्र 2021-22 की परीक्षाओं हेतु निम्नलिखित महाविद्यालयों (शासकीय महाविद्यालय, बाजना जिला रतलाम, शासकीय महाविद्यालय, ताल जिला रतलाम, शासकीय महाविद्यालय, सुवासरा जिला मंदसौर एवं शासकीय महाविद्यालय, जीरन जिला नीमच) को परीक्षा केन्द्र बनाए जाने संबंधी सूचना ग्राहय की गई। अतिरिक्त संचालक डॉ. आर.सी.जाटवा के सुझाव के अनुसार शासकीय महाविद्यालय, सोयत का भवन बनने के उपरांत अगले वर्ष परीक्षा केन्द्र बनाना मान्य किया गया।

**(क्रियान्वयन - परीक्षा विभाग)**

**विषय क्रं.5-** में. ओसवाल कम्प्यूटर्स एण्ड कंसल्टेंस प्रा.लिमि.इन्दौर से प्राप्त पत्र अनुसार अनुबंध की अवधि को बढाने के प्रस्ताव पर विचार।

**टिप्पणी** – विश्वविद्यालय के कार्य-आदेश क्रमांक परीक्षा/गोपनीय/2020/7086 दिनांक 14.2.2020 को में. ओसवाल कम्प्यूटर्स एण्ड कंसल्टेंस प्रा.लिमि.इन्दौर को सत्र 2019-20 एवं 2020-21 हेतु परीक्षा संबंधी कार्य करने हेतु आदेश प्रदान किया गया था।

में. ओसवाल कम्प्यूटर्स एण्ड कंसल्टेंस प्रा.लिमि.इन्दौर द्वारा विश्वविद्यालय को पत्र प्रेषित कर अनुबंध की अवधि में बढाने हेतु अनुरोध किया गया है अनुबंध की अवधि बढाने हेतु प्रकरण कार्यपरिषद् के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत।

**निर्णय :-** निर्णय लिया गया कि में. ओसवाल कम्प्यूटर्स एण्ड कंसल्टेंस प्रा.लिमि.इन्दौर से प्राप्त पत्र अनुसार दोनो पक्षों की सहमति से पुर्व स्वीकृत दरों पर नियमानुसार एक वर्ष की अवधि बढाने की स्वीकृति की प्रदान की गई। **(क्रियान्वयन - परीक्षा विभाग)**

**विषय क्रं.6-** शोध अभ्यार्थियों द्वारा प्रस्तुत शोध प्रबंधों के परिक्षकों की अनुशंसा के आधार पर प्रदान की गई पीएच.डी. उपाधि की सूचना।

**निर्णय :-** निर्णय लिया गया कि शोध अभ्यर्थियों द्वारा प्रस्तुत शोध प्रबंधों के परीक्षकों की अनुशंसा के आधार पर दिनांक 10.02.2022 से 11.04.2022 तक प्रदान की गई कुल 25 पीएच.डी. उपाधि की सूचना ग्राहय की गई। **(क्रियान्वयन - गोपनीय विभाग)**

**विषय क्रं.7-** विधि अध्ययनबोर्ड की बैठक दिनांक 23.12.2020, 30.11.2021 एवं 02.02.2022 एवं विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 11.03.2022 के निर्णय अनुसार एल.एल.एम. अध्यादेश क्र. 42, बरकतउल्लाह विश्वविद्यालय, भोपाल, एल.एल.बी. अध्यादेश क्र. 33 बरकतउल्लाह विश्वविद्यालय, भोपाल, बी.ए.एल.एल.बी. अध्यादेश क्र. 33,देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इंदौर, बी.ए.एल.एल.बी.(आनर्स) एवं बी.कॉम.एल.एल.बी.(आनर्स)अध्यादेश क्र. 226,देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इंदौर, को अंगीकृत किये जाने हेतु प्रकरण कार्यपरिषद् के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत।

**निर्णय :-** निर्णय लिया गया कि उपरोक्त अध्यादेशों को अंगीकृत किया गया जिसे समन्वय समिति के समक्ष सुचनार्थ प्रस्तुत किया जाए। **(क्रियान्वयन - अकादमिक विभाग)**

निरतर...03

**विषय क्रं.8-** पीएच.डी. अध्यादेश क्र. 11 की कण्डिका 05 के संबंध में संशोधन प्रस्ताव हेतु गठित समिति की बैठक दिनांक 07.03.2022 के कार्यविवरण अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।

**निर्णय :-** निर्णय लिया गया कि पीएच.डी. अध्यादेश क्र. 11 की कण्डिका 05 के संबंध में संशोधन प्रस्ताव हेतु गठित समिति की बैठक दिनांक 07.03.2022 के कार्यविवरण का अनुमोदन किया गया एवं प्रकरण आगामी कार्यवाही हेतु स्थायी समिति के माध्यम से समन्वय समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाए।

**(क्रियान्वयन - अकादमिक विभाग)**

**विषय क्रं.9-** डॉ. अंजली श्रीवास्तव उपाचार्य गणित अध्ययनशाला के निलम्बन काल अवधि दिनांक 04.06.2007 से दिनांक 18.12.2014 के निराकरण के संबंध में विचारार्थ।

**टिप्पणी -** उपर्युक्त विषय में प्रस्तुत है। कि डॉ. अंजली श्रीवास्तव द्वारा शैक्षणिक सत्र 2005-06 के ग्रीष्म अवकाश के पश्चात दिनांक 01.07.2006 को कार्यग्रहण किया जाना था परन्तु उनके द्वारा अवकाश अर्जन प्रेषित कर उनके अवकाश खाते में अवकाश न होने की स्थिति में उनका अवैतनिक अवकाश स्वीकार किया गया उनके द्वारा दिनांक 08.01.2007 को कार्यग्रहण करने के पश्चात दिनांक 09.01.2007 से 06, माह के लिए अवकाश वृद्धि करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया। डॉ. अंजली श्रीवास्तव के निरन्तर अनुपस्थित रहने के कारण उन्हे कारण बताओं सूचना पत्र प्रेषित किया गया संतोषप्रद उत्तर प्रस्तुत नहीं करने के कारण उन्हे कार्यालयीन आदेश क्र/प्रशासन/ संस्थापन/2007/590 दिनांक 04.06.2007 के द्वारा निलम्बन किया गया।

डॉ. अंजली श्रीवास्तव द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में दायर याचिका क्र/डब्ल्यु.पी 6714/2014 एस दिनांक 03.12.2014 में दिये गये निर्णयानुसार कार्यालयीन आदेश क्रमांक/ प्रशासन/सस्थापन/2015/2473 दिनांक 05.03.2015 के द्वारा उनका निलम्बन 18.12.2014 से बहाल किया गया। माननीय उच्च न्यायालय खण्डपीठ इंदौर की उक्त याचिका में पारित निर्णय दिनांक 03 दिसम्बर 2014 के परिपालन में दिनांक 04.06.2007 से 18.12.2014 तक कुल 7 वर्ष 6 माह 14 दिन की निलम्बन अवधि का निराकरण किया जाना है।

प्रस्तुत है कि विश्वविद्यालय परिनियम 31 के अनुसार की धारा 16 (i) No University employee shall be granted leave of any kind for a continuonus period exceding five years. (ii) Where the University employee does not resume duty after remaining on leave for a continuous period of five years, he shall be deemed to have resigned and shall accordingly cease to be in University employment.

provided that the Exeeutive council may determine otherwise in any case in view of the exceptional circumstances.

मध्यप्रदेश अवकाश नियम 11 -कर्तव्य से अधिक अवधि की अनुपस्थिति के संबंध में उल्लेख है किसी भी शासकीय कर्मचारी को लगातार 5 वर्ष से अधिक समय का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जा सकता।

मध्यप्रदेश अवकाश नियम 24-कर्तव्य से जानबुझकर अनुपस्थित रहने के संबंध में उल्लेख है कि शासकीय कर्मचारी स्वीकृत अवकाश से अधिक अवधि के लिये कर्तव्य से जानबुझकर अनुपस्थित नहीं रहेगा यदि वह ऐसा करता है तो तब ऐसी अनुपस्थिति की अवधि जिसे अवकाश स्वीकृत नहीं किया गया है, सभी प्रयोजन यथा वेतनवृद्धि, अवकाश आदि के लिए अकार्य दिवस (dies non) समझी जायेगी। ऐसी अनुपस्थिति अवधि का वेतन कर्मचारी को देय नहीं होगा यह अनुपस्थिति अवधि कर्मचारी के अवकाश खाते मे विकलित (debit) की जावेगी जैसे की वह इस अवधि में अर्द्ध वेतन अवकाश पर था ऐसे देय अवकाश से अधिक अवधि को असाधारण अवकाश माना जावेगा यहा पर यह भी उल्लेख किया गया है कि

निरतंर...04

अवकाश समाप्ति पर जानबूझ कर कर्तव्य से अनुपस्थित रहने वाले कर्मचारी के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जा सकती है।

अतः माननीय उच्च न्यायालय म.प्र. खण्डपीठ, इन्दौर द्वारा याचिका क्रं. डब्ल्यूपी 6714/2014 दिनांक 03.12.2014 में पारित आदेश के परिपालन में विश्वविद्यालय आदेश क्रं./प्रशासन /संस्थापन /2473, दिनांक 05.03.2015 के द्वारा डॉ. अंजलि श्रीवास्तव का निलंबन दिनांक 18.12.2014 से बहाल किया गया। डॉ. अंजलि श्रीवास्तव उक्त दिनांक से विश्वविद्यालय में उपाचार्य के पद पर कार्यरत है।

विश्वविद्यालय द्वारा प्रकरण में विधिक सलाहकार श्री के.सी. शर्मा से विधिक परामर्श दिनांक 25.10.2019 प्राप्त किया गया। विधिक परामर्शदाता सलाहकार महोदय द्वारा सुझाया गया है कि डॉ. अंजलि श्रीवास्तव की निलंबन अवधि दिनांक 04.06.2007 से दिनांक 18.12.2014 के संबंध में आदेश जारी किया जाकर प्रकरण का निराकरण किया जाना उचित होगा। अतः विश्वविद्यालय परिनियम 31 एवं मध्यप्रदेश अवकाश नियम के परिपेक्ष्य में निर्णय हेतु प्रकरण कार्यपरिषद के विचारार्थ प्रस्तुत हैं।

**निर्णय :-** निर्णय लिया गया कि डॉ. अंजली श्रीवास्तव उपाचार्य गणित अध्ययनशाला के निलम्बन काल अवधी दिनांक 04.06.2007 से दिनांक 18.12.2014 के निराकरण के संबंध में पुनः विधिक अभिमत लिये जाने हेतु निम्नानुसार अधिवक्ताओं में से किसी एक अधिवक्ता से विधिक अभिमत लिया जाए।

01. श्री अजीत मिश्रा 02. श्री रविन्द्रसिंह कुशवाह
03. श्री संदीप मेहता 04. श्री सुदीप भार्गव

**(क्रियान्वयन - प्रशासन विभाग)**

**विषय क्रं.10**-विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन में दैनिक वेतन भोगी पर कार्यरत कर्मचारियों के आकस्मिक निधन हो जाने पर उनके आश्रितों को अनुकम्पा नियुक्ति के संबंध में म.प्र. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय के पत्र क्रमांक सी, 5-1/2016/1/3 भोपाल, दिनांक 31.08.2016 अंगीकृत करने पर विचार।

**टिप्पणी** - उपरोक्त विषय में प्रस्तुत है कि म.प्र. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय के पत्र क्रमांक सी,5-1/2016/1/3 भोपाल, दिनांक 31.08.2016 के बिन्दु क्रमांक 02 अनुसार राज्य शासन द्वारा निर्णय लिया गया है कि कार्यभारित एवं आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले सेवा के मृतक कर्मचारियों के आश्रितों के लिए अनुकम्पा नियुक्ति का प्रावधान विद्यवान व्यवस्था अनुसार किया जाए। अतः सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र दिनांक 29.09.2014 में जारी दिशा-निर्देशों के मापदण्ड के अनुरूप ही कार्यभारित एवं आकस्मिकता निधि सेवा से वेतन पाने वाले कर्मचारियों के दिवंगत होने पर उनके आश्रित को इसी सेवा की स्थापना के रिक्त पदों पर अनुकम्पा नियुक्ति दिये जाने की कार्यवाही सुनिश्चित की जाये।

अतः उक्त पत्र विक्रम विश्वविद्याल, उज्जैन द्वारा अंगीकृत किए जाने हेतु कार्यपरिषद के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत।

**निर्णय :-** निर्णय लिया गया कि विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन में दैनिक वेतन भोगी पर कार्यरत कर्मचारियों के आकस्मिक निधन हो जाने पर उनके आश्रितों को अनुकम्पा नियुक्ति के संबंध में म.प्र. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय के पत्र क्रमांक सी,5-1/2016/1/3 भोपाल, दिनांक 31.08.2016 को यथावत अंगीकृत किया गया।

**(क्रियान्वयन - प्रशासन विभाग)**

निरंतर...05

**विषय क्रं.11-** म.प्र. शासन उच्च शिक्षा विभाग मंत्रालय आदेश क्रं. एफ-1/31/2019/38-3 दिनांक 15.07.2020 संदर्भित पत्र में परिनियम 31 अंतर्गत संवर्गो में एक समान पदनाम के समाने अंकित वेतनमान उसी संवर्ग में उल्लेखित पदों को समानरूप से प्रदान करने बाबत्।

**टिप्पणीः-** म.प्र. शासन के उक्त विषय अंतर्गत एवं संदर्भित पत्र के बिन्दु क्रं. 06 के अनुसार समस्त परम्परागत विश्वविद्यालयों में इन संवर्गो को एक समान वेतनमान एवं बिन्दु क्रं. 07 के अनुसार विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 परिनियम 31 अंतर्गत वेतनमान एक समान करने पर वित्त विभाग के मतानुसार दिनांक 01.01.1996 से स्वीकृत वेतनमान का वित्तीय भार विश्वविद्यालय अपने स्त्रोतों से वहन करने की शर्त तथा जिन विश्वविद्यालयों में पद स्वीकृत नही है उक्त स्वीकृति लागू नही होगी के आधर पर संबधित अभ्यर्थियो डॉ. कौशिक बोस, श्री मनोज शाह, श्री सत्यप्रकाश गुप्ता एवं श्री वरूण झा, पुस्तकालय सहायक श्रेणी -1 पदनाम के संवर्ग में सहायक श्रेणी -1 के समान पाचवें वेतनमान में 5500-9000 प्रदान किये जाने हेतु गठित समिति द्वारा दिनांक 24.08.2021 की अनुशंसा आधारित विधिक अभिमत तत्पश्चात समिति दिनांक 05.04.2022 की अनुशंसा अनुसार उल्लेखित वेतनमान प्रदान किये जाने हेतु प्रकरण कार्यपरिषद् के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत।

**निर्णय :-** निर्णय लिया गया कि गठित समिति की बैठक दिनांक 05.04.2022 की अनुशंसा अनुसार उल्लेखित वेतनमान प्रदान किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई।

**(क्रियान्वयन - प्रशासन विभाग)**

**विषय क्रं.12-**विश्वविद्यालय के परीक्षा/गोपनीय कार्य में संलग्न वाहनों को मरम्मत/सर्विसिंग कार्यो की शासकीय व्यय सीमा में शिथिलता प्रदान करने बाबत्।

**टिप्पणीः-** विक्रम विश्वविद्यालय के परीक्षा/गोपनीय कार्यो में संलग्न वाहनों को अधिक कार्य करना पड़ता है। परीक्षा की गोपनीयता को दृश्टिगत रखते हुए वाहनों की सर्विसिंग मरम्मत आदि कार्यो में शासकीय व्यय सीमा रू. 20000/- प्रति वर्ष अधिक व्यय होता है। विश्वविद्यालय के वाहनों को शासकीय व्यय सीमा में शिथिलता प्रदान करने हेतु प्रकरण कार्यपरिषद् के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत।

**निर्णय :-** निर्णय लिया गया कि उपरोक्त प्रस्ताव अमान्य किया गया। आवश्यक होने पर किये जाने वाले व्यय की स्वीकृति ली जाय।

**(क्रियान्वयन - यांत्रिकी विभाग)**

**विषय क्रं.13-**विक्रम विश्वविद्यालय में नैक, प्रशासकीय एवं क्रीडा विभाग के उपयोगार्थ कर्मचारियों की आवश्यकता पर विचार।

**टिप्पणीः-** विक्रम विश्वविद्यालय में नैक की गतिविधियों, प्रशासकीय कार्यो एवं क्रीडा विभाग हेतु कर्मचारियों की आवश्यकता है जिसे पुर्व कार्यपरिषद् में प्राप्त स्वीकृति के साथ महाकाल मंदिर में कार्यरत श्री कृष्णा सिक्यूरिटी एण्ड लेबर सप्लायर्स प्रा.लि., भोपाल द्वारा जो वर्तमान में विक्रम कीर्ति मंदिर में कर्मचारी प्रदान कर रही है, से कार्य हेतु लिये जाने की स्वीकृति हेतु प्रकरण कार्यपरिषद् के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत।

**निर्णय :-** निर्णय लिया गया कि विक्रम विश्वविद्यालय में नैक की गतिविधियों, प्रशासकीय कार्यो एवं क्रीडा विभाग हेतु कर्मचारियों की आवश्यकता है जिसे पूर्व कार्यपरिषद् में प्राप्त स्वीकृति के साथ महाकाल मंदिर में कार्यरत श्री कृष्णा सिक्यूरिटी एण्ड लेबर सप्लायर्स प्रा.लि., भोपाल द्वारा जो वर्तमान में विक्रम कीर्ति मंदिर में कर्मचारी प्रदान कर रही है, से कार्य लिये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई। **(क्रियान्वयन - यांत्रिकी विभाग)**

निरंतर...06

## अध्यक्ष महोदय की अनुमति से अन्य विषय पर विचार

**विषय क्रं.1–** विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन के गैर शिक्षकीय कर्मचारी संघ द्वारा प्रस्तुत आवेदन जिसमें सीधी भर्ती के 5 प्रतिशत पदो पर आंतरिक विज्ञापन कर गुणवत्ता, गुणानुक्रम के आधार पर विश्वविद्यालय में कार्यरत कर्मचारियों/स्थाईकर्मियों की नियुक्ति/नियमित किए जाने के संबंध में विचार।

**टीप :–** कार्यपरिषद की बैठक दिनांक 02.03.2022 के विषय क्रमांक अध्यक्ष की अनुमति से क्रमांक 2 के अन्तर्गत निम्नानुसार निर्णय लिया गया है ''निर्णय लिया गया की म.प्र. शासन का पत्र क्रमांक एफ–11–3/2021/नियम/चार/भोपाल दिनांक 13 अगस्त 2021 को यथावत अंगीकृत किया जाये।'' उक्त के संबंध में कुल पदो के 5 प्रतिशत पदो पर चयन एवं नियुक्ति की प्रक्रिया की जाना है।

विक्रम विश्वविद्यालय गैर शिक्षक कर्मचारी संघ द्वारा दिनांक 04/04/2022 को प्रेषित पत्र में निवेदन किया गया है कि विश्वविद्यालय के विगत कई वर्षो से रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु आन्तरिक विज्ञापन जारी कर गुणवत्ता गुणानुक्रम के आधार पर विश्वविद्यालय में कार्यरत् कर्मचारी/स्थाईकर्मीयों को नियुक्ति/नियमित किये जाने का निवेदन किया है।

चयन किये जाने वाले अभ्यार्थियों की योग्यता, गुणवत्ता, गुणानुक्रम का निर्धारण किये जाने के संबंध में विश्वविद्यालय के परिनियम 31 में निम्नानुसार प्रावधान वर्णित हैः–

2 (a) के अनुसार " Save as otherwise provided in the statutes and the ordinances the qualifications for appointment to the post in various classes in the University shall be such as may be determined by the appointing authority from time to time."

अतः उक्तानुसार म.प्र. शासन के आदेशानुसार सीधी भर्ती के 5 प्रतिशत रिक्त पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया/आतंरिक विज्ञापन प्रक्रिया के संबंध में निर्णय हेतु प्रकरण कार्यपरिषद के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत।

**निर्णय :–** निर्णय लिया गया कि प्रकरण विस्तृत टीप के साथ आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जाए।

**(क्रियान्वयन – प्रशासन विभाग)**

**विषय क्रं.2–** विश्वविद्यालय में कार्यरत नियमित/स्थाईकर्मीयो/दै.वै.भो. कर्मचारियों के अनाज अग्रिम में क्रमशः राशि रू.15000/– एवं राशि रू. 10000/–वृद्धि किये जाने की स्वीकृति पर विचार।

**टीप :–** विश्वविद्यालय के कार्यालयीन आदेश क्रं./प्रशासन/संस्थापन/2016/38 दिनांक 06.04.2016 के द्वारा कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 26.03.2016 के निर्णयानुसार नियमित कर्मचारियों को अनाज अग्रिम राशि रू. 7000/– के स्थान पर राशि रू. 10000/– तथा दै.वे.भोगी कर्मचारियों को राशि रू. 4000/– के स्थान पर राशि.रू. 7000/– पात्रता होने पर स्वीकृति प्रदान की जाती है, जिसका 9 (नौ) समान किष्तों में षासन के नियमानुसार ब्याज सहित (ऋण राषि पर ब्याज 6.5 प्रतिषत के साथ) वेतन से कटोत्रा किया जावेगा।

अतः वर्तमान में मंहगाई एवं तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी संघ के निवेदन को दृष्टिगत रखते हुए नियमित कर्मचारियों को अनाज अग्रीम राशि रू.10000/– में वृद्धि कर रू.15000/– तथा स्थाईकर्मी एवं दै.वे. भोगी कर्मचारियो को राशि रू. 7000/– में वृद्धि कर 10000/– के भुगतान की स्वीकृति हेतु कार्यपरिषद् के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत।

**निर्णय :–** निर्णय लिया गया कि नियमित कर्मचारियों को अनाज अग्रीम राशि रू.10000/– में वृद्धि कर रू.15000/– तथा स्थाईकर्मी एवं दै.वे. भोगी कर्मचारियो को राशि रू. 7000/– में वृद्धि कर 10000/– के भुगतान की स्वीकृति प्रदान की गई।

**(क्रियान्वयन – प्रशासन विभाग)**

निरंतर...07

**विषय क्रं.3-** श्री अशोक राठौर, सेवानिवृत्त भृत्य, शासकीय माधव विज्ञान महाविद्यालय, उज्जैन के ग्रेच्युटी एवं अवकाश नगदीकरण भुगतान हेतु विचारार्थ।

**टीप :-** श्री अशोक राठौर, सेवानिवृत्त भृत्य, शासकीय माधव विज्ञान महाविद्यालय से दिनांक 31.03.2020 को सेवानिवृत्त हुए है। इनके द्वारा दिनांक 24.12.21 को ग्रेच्युटी एवं अवकाश नगदीकरण भुगतान किये जाने हेतु निवेदन किया गया है इस संबंध में आयुक्त कार्यालय द्वारा ग्रेच्युटी भुगतान आदेश दि.01.11.2022, राशि रू. 452203/- जारी किया गया है एवं प्राचार्य, शासकीय माधव विज्ञान महाविद्यालय द्वारा अवकाश नगदीकरण का गणना पत्रक अनुसार राशि रू. 188688/- अंकित की गई है। कुल राशि रू. 452203+188688=640891/- अक्षरी छः लाख चालीस हजार आठ सौ इनक्यानवें होती है।

उक्त संबंध में लेख है कि शासकीय माधव विज्ञान महाविद्यालय एवं शासकीय माधव महाविद्यालय से सेवानिवृत्त कर्मचारियों के भुगतान प्रकरणों में पूर्व में विश्वविद्यालय द्वारा माननीय उच्च न्यायालय के निर्णयों, शासन के आदेशों एवं विश्वविद्यालय की कायपरिषद के निर्णयों के आधार पर विश्वविद्यालय स्तर से भुगतान किया गया था एवं इसी प्रकार के 04 प्रकरणों में विश्वविद्यालय की कार्यपरिषद की बैठक दिनांक 8.9.2020 में शासन से राशि प्राप्त कर उन 04 प्रकरणों के भुगतान हेतु लिखा गया था उन 4 प्रकरणों हेतु शासन द्वारा आज दिनांक तक राशि नहीं भेजी गयी है एवं श्री अशोक राठौर के प्रकरण में भी शासन से राशि प्राप्त किये जाने हेतु शासन को पत्र क्रं.1794, दिनांक 4.1.2022 भेजा गया था, उक्त प्रकरण हेतु भी राशि विश्वविद्यालय में नहीं भेजी गयी है।

अतः प्रकरण सम्पूर्ण वस्तुस्थिति के साथ अवलोकनार्थ एवं कार्यपरिषद के विचारार्थ प्रस्तुत है।

**निर्णय :-** निर्णय लिया गया कि उक्त के संबंध में शासन को पत्र प्रत्र प्रेषित किया जाए।

**(क्रियान्वयन - प्रशासन विभाग)**

**विषय क्रं.4-** क्रीड़ा विभाग के भौतिक सत्यापन हेतु गठित समिति से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन कार्यपरिषद् के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत।

**निर्णय :-** निर्णय लिया गया कि क्रीड़ा विभाग के भौतिक सत्यापन हेतु गठित समिति से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन में समिति द्वारा दिये गये सुझाव व निर्देश को यथावत मान्य किया गया।

**(क्रियान्वयन - क्रीड़ा विभाग)**

**विषय क्रं.5-** विश्वविद्यालय अधिवक्ताओं के पेनल को मान्य करने पर विचार।

**निर्णय :-** विश्वविद्यालय अधिवक्ताओं में पेनल के अधिवक्ताओं के Biodata प्राप्त होने एवं उन्हे विचारार्थ प्रस्तुत किया गया था। जिसे कार्यपरिषद् द्वारा स्वीकृत किया गया।

साथ ही कार्यपरिषद् सदस्य श्री राजेश सिंह कुशवाह द्वारा विश्वविद्यालय कर्मचारियों/प्राध्यापकों एवं अन्य न्यायालयीन प्रकरणों को कम किये जाने के प्रयासों की आवश्यकता पर जोर दिया। तद्नुसार कार्यपरिषद् द्वारा विधिक शाखा को पूर्ण तैयारी एवं प्रकरणों की वर्तमान स्थिति के साथ आगामी कार्यपरिषद् में विषय रखने हेतु मान्य किया गया।

**अध्यक्ष के प्रति धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक संपन्न हुई।**

13/4/22 — **कुलपति**

13.4.22 — **कुलसचिव**

# विक्रम विश्वविद्यालय,उज्जैन

क्रमांक/अकादमिक/सम्मिलन/2022/ 1678 दिनांक :- 10/8/2022

प्रति,

माननीय कुलाधिपति एवं राज्यपाल के सचिव,
राजभवन,
भोपाल।

**विषय :- कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 04.08.2022 के कार्यविवरण विषयक।**

**महोदय,**

उपर्युक्त विषयान्तर्गत इस पत्र के साथ कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 04.08.2022 का कार्यविवरण आपकी ओर संलग्न प्रेषित किया जा रहा है।

**संलग्न :-** उपरोक्तानुसार

आदेशानुसार
कुलसचिव

क्रमांक/अकादमिक/सम्मिलन/2022/ 1679 दिनांक :- 10/8/2022

प्रतिलिपि :-

01. कार्यपरिषद् के समस्त माननीय सदस्यगण।
02. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
03. आयुक्त, उच्च शिक्षा विभाग, सतपुड़ा भवन, भोपाल।
04. माननीय कुलपतिजी/कुलसचिवजी के निज सहायक, विक्रम विश्वविद्यालय,उज्जैन।

की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु सूचनार्थ प्रेषित।

सहायक कुलसचिव(अकादमिक)

# विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन

क्रमांक/अकादमिक/सम्मिलन/2022/1672 दिनांक :- 08/08/2022

कार्यपरिषद्
की
बैठक के कार्यविवरण

स्थान :- माधव भवन, उज्जैन
तिथि : 04.08.2022
समय : अपराह्न 03.00 बजे

-:: उपस्थिति ::-

| | | |
|---|---|---|
| 01. | प्रो. अखिलेश कुमार पाण्डेय | कुलपति एवं अध्यक्ष |
| 02. | डॉ.(श्रीमती) दीपिका गुप्ता | सदस्य |
| 03. | डॉ. शैलेन्द्र कुमार शर्मा | सदस्य |
| 04. | डॉ. स्मिता भवालकर | सदस्य |
| 05. | डॉ. दिनेश कुमार सोनी | सदस्य |
| 06. | डॉ. गोविन्द गन्धे | सदस्य |
| 07. | डॉ. हर्षा क्षीरसागर | सदस्य |
| 08. | डॉ. अपर्ण भारद्वाज (अति.संचालक,उज्जैन संभाग) | सदस्य |
| 09. | श्रीमती सुषमा ठाकुर (संयुक्त संचालक कोष एवं लेखा) | सदस्य |
| 10. | श्री राजेश सिंह कुशवाह | सदस्य |
| 11. | श्री सचिन दवे | सदस्य |
| 12. | सुश्री ममता बेंडवाल | सदस्य |
| 13. | श्री विनोद यादव | सदस्य |
| 14. | श्री संजय नाहर | सदस्य |
| 15. | डॉ. प्रशांत पुराणिक | कुलसचिव एवं सचिव |

**विषय क्रं.1-** कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 12.04.2022 के कार्यविवरण की पुष्टि पर विचार।

**निर्णय :-** निर्णय लिया गया कि कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 12.04.2022 के कार्यविवरण की पुष्टि की गई। **(क्रियान्वयन - अकादमिक विभाग)**

**विषय क्रं.2-** विद्यापरिषद् की बैठक दिनांक 20.04.2022 के कार्यविवरण की पुष्टि पर विचार।

**निर्णय :-** निर्णय लिया गया कि विद्यापरिषद् की बैठक दिनांक 20.04.2022 के कार्यविवरण की पुष्टि की गई। **(क्रियान्वयन - अकादमिक विभाग)**

**विषय क्रं.3-** विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की ऑनलाईन एवं ऑफलाईन बैठक दिनांक 05.05.2022, 13.05.2022,27.05.2022,22.06.2022,के कार्यविवरण की पुष्टि पर विचार।

**निर्णय :-** निर्णय लिया गया कि विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की ऑनलाईन एवं ऑफलाईन बैठक दिनांक 05.05.2022,13.05.2022,27.05.2022,22.06.2022,के कार्यविवरण की पुष्टि की गई। **(क्रियान्वयन - अकादमिक विभाग)**

**विषय क्रं.4-** विद्या संबंधी योजना एवं मूल्यांकन बोर्ड की बैठक दिनांक 11.05.2022 के कार्यविवरण की पुष्टि पर विचार।

**निर्णय :-** निर्णय लिया गया कि विद्या संबंधी योजना एवं मूल्यांकन बोर्ड की बैठक दिनांक 11.05.2022 के कार्यविवरण की पुष्टि की गई। **(क्रियान्वयन - अकादमिक विभाग)**

निरंतर...02

**विषय क्रं.5–** शोध अभ्यार्थियों द्वारा प्रस्तुत शोध प्रबंधों के परिक्षकों की अनुशंसा के आधार पर प्रदान की गई पीएच.डी. उपाधि की सूचना।

**निर्णय :–** निर्णय लिया गया कि शोध अभ्यर्थियों द्वारा प्रस्तुत शोध प्रबंधों के परीक्षकों की अनुशंसा के आधार पर दिनांक 21.04.2022 से 11.07.2022 तक प्रदान की गई कुल 31 पीएच.डी. उपाधि की सूचना ग्राह्य की गई।

**विषय क्रं.6–** विश्वविद्यालय द्वारा विभिन्न संस्थाओं एवं अन्य विश्वविद्यालयों (01. Bundelkhand University, Jhansi,Uttar Pradesh, 02. Heartfulness Education Trust, 03. पूर्णश्री फाउण्डेशन, उज्जैन, 04. संस्कार भारती मालवा प्रान्त जिला उज्जैन, 05. युथ हॉस्टल एयोसिएशन ऑफ इंडिया, उज्जैन इकाई) मध्य समझौते के आलेख पर हस्ताक्षरार्थ उपरांत कार्यपरिषद् के समक्ष सूचनार्थ।

**निर्णय :–** निर्णय लिया गया कि उपरोक्त विश्वविद्यालय द्वारा विभिन्न संस्थाओं एवं अन्य विश्वविद्यालयो के मध्य समझोते के आलेख पर हस्ताक्षर की सूचना ग्राह्य की गई, एवं मान्य किया गया। साथ ही यह भी निर्णय लिया गया कि MOU की प्रति कार्यपरिषद् सदस्यों को उपलग्ध कराई जाये।

**कार्यपरिषद् सदस्यों द्वारा निम्नाकिंत बिंदुओं पद चर्चा कर सुझाव दिये गये :–**

01. श्री अरिहंत कालेज रतलाम की छात्रा खूशी कावडिया के प्रकरण को विद्यापरिषद् की स्थायी समिति के समक्ष प्रस्तमत कर शीघ्र समाधान किया जाए।

02. पीएच.डी. प्रवेश परीक्षा 2022 हेतु गठित्त जांच समिति से अनुशंसा शीघ्र प्राप्त कर तत्काल कार्यवाही की जाये।

03. विश्वविद्यालय में आयोजित समस्त परीक्षा परिणाम यथा शीघ्र घोषित किये जाये जिससे विद्यार्थी लाभान्वित हो सके।

04. अनुमोदित अधिवक्ताओं को पत्र प्रेषित कर कार्यपरिषद् द्वारा अनुमोदित वकीलों के पेनल की प्रति कार्यपरिषद् सदस्यों को उपलब्ध कराई जाये।

कार्यसूची के शेष बिदुंओं पर समयाभाव के कारण चर्चा नही की जा सकी।

**अध्यक्ष के प्रति धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक संपन्न हुई।**

कुलपति

कुलसचिव

# विक्रम विश्वविद्यालय,उज्जैन

क्रमांक/अकादमिक/सम्मिलन/2022/ 107 दिनांक :-12/9/2022

प्रति,

माननीय कुलाधिपति एवं राज्यपाल के सचिव,
राजभवन,
भोपाल।

विषय :- कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 10.09.2022 के कार्यविवरण विषयक।

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत इस पत्र के साथ कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 10.09.2022 का कार्यविवरण आपकी ओर संलग्न प्रेषित किया जा रहा है।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार

आदेशानुसार
कुलसचिव

क्रमांक/अकादमिक/सम्मिलन/2022/ 108 दिनांक :-12/9/2022

प्रतिलिपि :-

01. कार्यपरिषद् के समस्त माननीय सदस्यगण।
02. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
03. आयुक्त, उच्च शिक्षा विभाग, सतपुड़ा भवन, भोपाल।
04. माननीय कुलपतिजी/कुलसचिवजी के निज सहायक, विक्रम विश्वविद्यालय,उज्जैन।

की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु सूचनार्थ प्रेषित।

सहायक कुलसचिव(अकादमिक)

# विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन

क्रमांक/अकादमिक/सम्मिलन/2022/ 106 दिनांक :- 12/9/2022

कार्यपरिषद् की

बैठक का कार्यविवरण

स्थान :- माधव भवन, उज्जैन तिथि : 10.09.2022

समय : अपरान्ह 12.00

-:: उपस्थिति ::-

| | | |
|---|---|---|
| 01. | प्रो. अखिलेश कुमार पाण्डेय | कुलपति एवं अध्यक्ष |
| 02. | डॉ.(श्रीमती) दीपिका गुप्ता | सदस्य |
| 03. | डॉ. शैलेन्द्र कुमार शर्मा | सदस्य |
| 04. | डॉ. स्मिता भवालकर | सदस्य |
| 05. | डॉ. दिनेश कुमार सोनी | सदस्य |
| 06. | डॉ. अपर्ण भारद्वाज (अति.संचालक, उच्च शिक्षा विभाग, उज्जैन संभाग) | सदस्य |
| 07. | श्री राघवेन्द्र पाल सिंह यादव (संयुक्त संचालक कोष एवं लेखा) | सदस्य |
| 08. | श्री सचिन दवे | सदस्य |
| 09. | सुश्री ममता बेंडवाल | सदस्य |
| 10. | श्री विनोद यादव | सदस्य |
| 11. | श्री संजय नाहर | सदस्य |
| 12. | डॉ. प्रशांत पुराणिक | सदस्य |

**विषय क्रं.1-** कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 04.08.2022 के कार्यविवरण की पुष्टि पर विचार।

**निर्णय :-** निर्णय लिया गया कि कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 04.08.2022 के कार्यविवरण की पुष्टि की गई। **(क्रियान्वयन - अकादमिक विभाग)**

**विषय क्रं.2-** विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 26.08.2022 के कार्यविवरण की पुष्टि पर विचार।

**निर्णय :-** विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 26.08.2022 के कार्यविवरणों की पुष्टि की गई। **(क्रियान्वयन - अकादमिक विभाग)**

**विषय क्रं.3-** विद्या संबंधी योजना एवं मूल्यांकन बोर्ड की बैठक दिनांक 03.08.2022 के कार्यविवरण की पुष्टि पर विचार।

**निर्णय :-** विद्या संबंधी योजना एवं मूल्यांकन बोर्ड की बैठक दिनांक 03.08.2022 के कार्यविवरणों की पुष्टि की गई। **(क्रियान्वयन - अकादमिक विभाग)**

**विषय क्रं.4-** विश्वविद्यालय द्वारा विभिन्न संस्थाओं एवं अन्य विश्वविद्यालयों (01. Avantika University, Ujjain, India, 02. सर्प अनुसंधान संगठन, उज्जैन) मध्य समझौते के आलेख पर हस्ताक्षरार्थ उपरांत कार्यपरिषद् के समक्ष सूचनार्थ।

**निर्णय :-** निर्णय लिया गया कि उपरोक्त विश्वविद्यालय द्वारा विभिन्न संस्थाओं एवं अन्य विश्वविद्यालयों के मध्य समझौते के आलेख पर हस्ताक्षर की सूचना ग्राह्य की गई, एवं मान्य किया गया। **(क्रियान्वयन - अकादमिक विभाग)**

निरंतर...02

**विषय क्रं.5-** स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी परिसर में स्वामी विवेकानंद जी की प्रतिमा लगवाने एवं स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी का नाम परिवर्तित कर राजा भोज इंस्टिट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी करने पर विचार।

**निर्णय :-** निर्णय लिया गया कि उपरोक्त प्रस्ताव मान्य किया गया।

**(क्रियान्वयन – स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग एण्ड टेक्नालाजी)**

**विषय क्रं.6-** परीक्षाओं में अनुचित साधनों का उपयोग करने वाले परीक्षार्थियों के मोबाइल वापस किये जाने हेतु प्रकरण कार्यपरिषद् के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत।

**निर्णय :-** निर्णय लिया गया कि परीक्षाओं में अनुचित साधनों का उपयोग करने वाले परीक्षार्थियों के मोबाइल अनुचित साधनों के प्रयोग पर निर्मित समिति (UFM Committee) की बैठक के निर्णय पश्चात् परीक्षार्थियों के मोबाइल वापस किये जाने की कार्यवाही की जाये।

**(क्रियान्वयन – गोपनीय विभाग)**

**विषय क्रं.7-** विश्वविद्यालय में Integrated University Manangement System (IUMS) लागू करने हेतु प्राप्त प्रस्ताव पर विचार करने के लिए समिति का गठन किए जाने पर विचार।

**टीप :-** उपरोक्त विषय में विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन में IUMS लागू करने हेतु भारतीय राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ मर्यादित (NCCF) से प्राप्त प्रस्ताव का अवलोकन हो। जिसमें विश्वविद्यालय में वेबसाईट डेवलपमेन्ट एण्ड मैंटेनेंस के लिए NCCF द्वारा प्राप्त प्रस्तावों में 15 प्रकार के module पर कार्य किया जावेगा। विश्वविद्यालय पर आर्थिक भार नहीं आवेगा। वर्तमान में विद्यार्थी जो व्यय करते हैं, उससे कम व्यय पर NCCF द्वारा कार्य करने का प्रस्ताव है।

अतः प्रकरण कार्यपरिषद् के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत।

**निर्णय :-** निर्णय लिया गया कि इस विषय पर समिति गठन के संबंध में दिनांक 14/09/2022 को आयोजित कार्यपरिषद् की बैठक में निर्णय लिया जायेगा।

**(क्रियान्वयन – प्रशासन विभाग)**

**अध्यक्ष महोदय की अनुमति से अन्य विषय पर विचार**

**विषय क्रं.1-** शासकीय माधव विज्ञान महाविद्यालय, उज्जैन के प्राप्त पत्र क्रं. 569, दिनांक 8.6.2022 के द्वारा आडिटोरियम निर्माण हेतु (माननीय उच्च शिक्षा मंत्री, डॉ. मोहन यादव एवं संभागीय परियोजना यंत्री द्वारा चिन्हित) भूमि विक्रम विश्वविद्यालय से चाही गई हैं। भूमि के दस्तावेज एवं भूमि उपलब्ध किए जाने पर विचार।

**निर्णय :-** निर्णय लिया गया कि शासकीय माधव विज्ञान महाविद्यालय आवश्यक भूमि का क्षेत्रफल क्या है। तद्नुसार दूसरे स्थान पर उपलब्ध भूमि शासकीय माधव विज्ञान महाविद्यालय, उज्जैन विश्वविद्यालय को प्रदान करेंगे। प्राचार्य, शासकीय माधव विज्ञान महाविद्यालय, उज्जैन, से समन्वय कर दी जा रही भूमि का क्षेत्र/स्थान चिन्हित कर विश्वविद्यालय यंत्री सम्पूर्ण जानकारी के पश्चात् उपरोक्त प्रस्ताव 14/09/2022 को प्रस्तावित कार्यपरिषद् की बैठक में रखेंगे।

**(क्रियान्वयन – यांत्रिकी विभाग)**

**कार्यपरिषद् सदस्यों द्वारा निम्न बिंदु पर चर्चा कर सुझाव दिये गये :-**

01. अकादमिक सम्बंद्धता विभाग से संबंधित समस्त पत्र कुलसचिवजी के हस्ताक्षर उपरांत ही जारी किये जाये।

कार्यसूची के शेष बिदुंओं पर समयाभाव के कारण चर्चा नहीं की जा सकी।

**आगामी बैठक दिनांक 14.09.2022 को पूर्वान्ह 11.00 बजे आयोजित की जायेगी।**

**अध्यक्ष के प्रति धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक संपन्न हुई।**

कुलपति

कुलसचिव